Final PS Jan-Jun'23_feb'11 pror shiksha.qxd 7/6/2023 2:44 PM Page I

वर्ष 67 अंक 1

ISSN 2231-2439
जनवरी-जून 2023

प्रौढ़ शिक्षा

प्रौढ़, सतत एवं आजीवन शिक्षा जगत का मुख पत्र

भारतीय प्रौढ़ शिक्षा संघ

भारतीय प्रौढ़ शिक्षा संघ

1939 में स्थापित भारतीय प्रौढ़ शिक्षा संघ का उद्देश्य व्यक्ति के जीवन की गुणवत्ता में, शिक्षा के माध्यम से अभिवृद्धि करना है, जिसे यह निरन्तर एवं आजीवन प्रक्रिया के रूप में देखता है। संघ प्रौढ़ शिक्षा को एक प्रक्रिया, कार्यक्रम और आन्दोलन के रूप में गतिशील बनाने की दिशा में प्रतिबद्ध है। संघ प्रौढ़ शिक्षा के प्रसार में कार्यरत स्वंयसेवी संगठनों, विश्वविद्यालयों, शासकीय, राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाओं के कार्यकलापों से समन्वय करता है। संगोष्ठियों एवं सम्मेलनों का आयोजन और प्रौढ़ शिक्षा के विभिन्न आयामों पर निरंतर सर्वेक्षण तथा शोध के साथ, संघ अपने सदस्यों की प्रौढ़ शिक्षा विषयक जानकारी में नवीनता एवं प्रखरता बनाए रखने के लिए समूचे विश्व में अद्यतन विचार और अनुभव प्रस्तुत करने का निरन्तर प्रयत्न करता रहता है। प्रौढ़ शिक्षा के क्षेत्रों में अनुसंधान हेतु विभिन्न प्रयोगात्मक परियोजनाएं भी संचालित करता है। अपनी नीतियों के अनुसरण में संघ ने 'नेहरू साक्षरता पुरस्कार' एवं महिलाओं में निरक्षरता निवारण कार्य हेतु 'टैगोर साक्षरता पुरस्कार' की स्थापना की है।

डॉ. जाकिर हुसैन स्मृति व्याख्यान प्रतिवर्ष किसी मूर्धन्य शिक्षाविद् द्वारा दिया जाता है। संघ हिन्दी एवं अंग्रेजी शोध कार्य के लिए डा. मोहन सिंह मेहता फेलोशिप भी प्रदान करता है। संघ का अमरनाथ झा पुस्तकालय प्रौढ़, सतत् और जनसंख्या शिक्षा की सन्दर्भ सामग्री की दृष्टि से देश में अद्वितीय है। विविध सन्दर्भ पुस्तकों के संकलन के अतिरिक्त देश और विदेश से प्रकाशित प्रौढ़ शिक्षा संबंधी पत्र–पत्रिकाएं, सूचना एवं संदर्भ सामग्री भी इसमें उपलब्ध है। अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर कार्य हेतु संघ की पहल पर प्रौढ़ एवं जीवनपर्यन्त अन्तर्राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान (इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडल्ट एंड लाईफलॉंग एजूकेशन) की स्थापना हुई। संघ प्रौढ़ शिक्षा विषय पर अनेक पुस्तकें व पत्रिकाएं प्रकाशित करता है, जो कि मुख्यतः प्रौढ़ शिक्षा कर्मियों और नवसाक्षरों के लिए है। संघ 'इण्टरनेशनल फेडरेशन आफ वर्कर्स एजूकेशन एसोसिएशन्स', एवं 'एशियन साउथ पेसेफिक एसोसिएशन फॉर बेसिक एण्ड एडल्ट एजूकेशन', 'इण्टरनेशनल कौंसिल आफ एडल्ट एजूकेशन' तथा 'इण्टरनेशनल लिटरेसी ऐसोसिएशन' से भी सम्बद्ध है। संघ की सदस्यता उन सभी व्यक्तियों एवं संस्थाओं के लिए खुली है जो इसके आदर्शों एवं लक्ष्यों में विश्वास रखते हैं और इस क्षेत्र में कार्य करने के लिए इच्छुक हैं।

भारतीय प्रौढ़ शिक्षा संघ

17–बी इन्द्रप्रस्थ एस्टेट, महात्मा गांधी मार्ग, नई दिल्ली–110002

दूरभाषः 011–43489048

ई–मेलः directoriaea@gmail.com, iaeadelhi@gmail.com

website: www.iaea-india.in; www.iiale.org

Final PS Jan-Jun'23_feb'11 pror shiksha.qxd 7/6/2023 2:45 PM Page 1

प्रौढ़ शिक्षा

जनवरी–जून 2023
वर्ष 67 अंक 1

सम्पादक मण्डल

डा. सरोज गर्ग
श्री मृणाल पंत
श्री ए.एच.खान
श्री राजेन्द्र जोशी
सुश्री निशात फारूख

सम्पादक
सुरेश खण्डेलवाल

सहायक सम्पादक
बी. संजय

इस अंक में

सम्पादकीय 2

प्रौढ़ शिक्षाः एंड्रागॉगी का स्वरूप एवं भूमिका
– अशोक कुमार
– संदीप कुमार 4

जनपद नैनीताल में आँगनबाड़ी शिक्षा व्यवस्था का अध्ययन
– अनीता जोशी
– साक्षी कडेवाल 12

सामुदायिक सहभागिता एवं एंड्रागॉगी : एक सकारात्मक प्रयास
– आलोक कुमार
– राजेश
– राहुल यादव 23

मद्यनिषेध एवं महिला सशक्तीकरण
– अर्चना सौशिल्या 32

शिक्षा में नवाचार, शिक्षण पाठन तकनीक, कौशल प्रशिक्षण एवं रोजगार
– कल्पना कौशिक 38

मूल्यः 200 रूपये वार्षिक

पत्रिका में व्यक्त लेखकों के विचार उनके वैयक्तिक विचार हैं जिनसे संघ एवं सम्पादकीय सहमति अनिवार्य नहीं है ।

सम्पादकीय

क्या जी–20 सम्मेलन बुनियादी साक्षरता, कौशल विकास तथा आजीवन शिक्षा को गति प्रदान कर पायेगा?

वैश्विक आबादी के दो तिहाई लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाला जी–20 यूरोपियन यूनियन सहित उन 19 देशों का सांझा समूह है जिनका विश्व के सकल घरेलू उत्पाद में लगभग 85 प्रतिशत की हिस्सेदारी है। इसके सदस्य देश हैं – अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इण्डोनेशिया, इटली, जापान, कोरिया, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, तुर्की, ब्रिटेन और अमेरिका। स्वाभाविक ही यह समूह वैश्विक विकास के तमाम पहलुओं को सहज ही प्रभावित करता है और उनकी प्रगति को दिशा प्रदान करने में निर्णायक भूमिका का निर्वहन करता है। इस समूह का कोई निश्चित सचिवालय नहीं है और समूह के संचालन के नियमों के अनुसार इसकी अध्यक्षता प्रतिवर्ष किसी न किसी सदस्य देश द्वारा की जाती है। अध्यक्षता करने वाला देश समूह के पूर्व अध्यक्ष तथा आगामी अध्यक्ष देश के साथ मिलकर इसके गतिविधियों का संचालन करता है।

यह सुखद संयोग है कि भारत को जी–20 समूह की अध्यक्षता इसी वर्ष के लिए मिली है जब वह अपनी आजादी का अमृतमहोत्सव भी मना रहा है। भारत द्वारा जी–20 की अध्यक्षयता का कार्यकाल 1 दिसंबर 2022 से प्रारंभ होकर 30 नवंबर 2023 तक रहेगा। स्थापित नियमों के अनुसार वर्ष 2023 के दौरान भारत में हो रहे जी–20 सम्मेलन की सम्पूर्ण गतिविधियों का संचालन इंडोनेशिया (2022), भारत (2023) और ब्राजील (2024) द्वारा सम्मिलित रूप से किया जाएगा।

विदित है कि जी–20 अपनी निर्णय प्रक्रिया को 3 अलग–अलग स्तरों यथा फिनांशियल ट्रैक, शेरपा ट्रैक तथा स्पेशल इंगेजमेंट ग्रुप, पर हुई चर्चा और विमर्श के माध्यम से क्रियान्वित करता है। नेपाल के शेरपाओं की परंपरा से लिया गया 'शेरपा' शब्द का तात्पर्य अपनी उद्देश्यों की पूर्ति के लिए भारी से भारी वजन को उठाना या दायित्वों का निर्वहन करना है। जी–20 के शेरपा ट्रैक के अंतर्गत वैश्विक महत्व के 13 विषयों तथा 4 विशेष पहलुओं पर विचार–विमर्श किया जाता है। इन 13 विषयों में डिजास्टर रिस्क रिडक्सन (आपदा जोखिम में कमी), विकास, शिक्षा, सशक्तीकरण, पर्यावरण एवं जलवायु की सांतत्यता, उर्जा रूपान्तरण, स्वास्थ्य, व्यापार एवं निवेश तथा पर्यटन आते हैं वहीं 4 विशेष पहलुओं के अंतर्गत रिसर्च एंड इनोवेशन इनिशिएटिव गैदरिंग (आर.आई.आई.जी), स्पेस इकॉनोमिक लीडर्स मीटिंग (एस.ई.एल.एम), जी–20 इंपावरमेंट तथा जी–20 चीफ सांइटिफिक एडवाइजर रांउड टेबिल शामिल हैं।

सन् 1999 में अस्तित्व में आये इस समूह की अध्यक्षता की जिम्मेवारी भारत पर पहली बार आयी है जो विश्व पटल पर उसके बढ़ते प्रभाव को भी रेखांकित करती है। ऐसे में भारत सहित अन्य सदस्य देशों की भी अपेक्षा होगी कि इस सम्मेलन में लिये गये निर्णय विकास की गतिविधियों विशेषरूप से शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार एवं सशक्तीकरण को नई गति प्रदान करेंगे। यदि शिक्षा के संदर्भ में इस सम्मेलन द्वारा दी गयी प्रमुखता को समझना हो तो उन चार बैठकों में हुई विमर्श के बिंदुओं पर गौर करना आवश्यक होगा जो जी–20 शेरपा ट्रैक के एजूकेशन वर्किंग ग्रुप (EdWG) के तहत आयोजित की गयी।

पहली दो दिवसीय कॉन्क्लेव 1–2 फरवरी 2023 को चेन्नई में आयोजित की गयी जिसका फोकस जीवन पर्यन्त शैक्षिक इकोसिस्टम के विकास के लिए स्किलिंग, रि–स्किलिंग तथा अप–स्किलिंग के रास्ते तलाशना था।

दूसरी मीटिंग 15–17 मार्च 2023 को अमृतसर में हुई जिसका उद्देश्य शैक्षणिक तकनीक (एडूटैक) की भूमिका, शिक्षण की नवीन पद्धति तथा अन्य उन्नत प्रयोगों एवं नीतियों को रेखांकित करना था जो वैश्विक धरातल पर शिक्षा को नई उचांईयों की ओर ले जा सके।

गौरतलब है कि इस दो दिवसीय मीटिंग में चार वरीयतापूर्ण विषयों पर गहन चर्चा की गईः

1. वलेंडेड लर्निंग अर्थात ऑनलाइन और कक्षा आधारित शिक्षण के मिश्रित स्वरूप के संदर्भ में मौलिक साक्षरता एवं गणित की सुनिश्चितता (डिजिटल और ऑनलाइन मीटिंगों के माध्यम से होने वाला अनौपचारिक शैक्षणिक कार्यक्रम)।
2. सभी स्तरों पर तकनीकी आधारित शिक्षा प्रणाली को अधिक से अधिक समावेशी, गुणवत्तापूर्ण एवं सहयोगात्मक बनाना।
3. भविष्य के रोजगारों के स्वरूप के संदर्भ में कौशल विकास एवं आजीवन शिक्षा का विस्तार।
4. सहयोग एवं सांझेदारी से शोध एवं अनुसंधान को मजबूती प्रदान करना।

एजूकेशन वर्किंग ग्रुप (EdWG) की तीसरी मीटिंग 26 से 28 अप्रैल 2023 को भुवनेश्वर में आयोजित हुई। इस बैठक का एक थीम “Equipping Children with a Range of Future Skills to set them on Course of Lifelong Learning” पर आधारित था।

एजूकेशन वर्किंग ग्रुप की चौथी और आखिरी मीटिंग 20 से 21 जून 2023 को पुणे में आयोजित हुई जिसका समापन 22 जून को जी–20 देशों के शिक्षा मंत्रियों की बैठक के साथ संपन्न हुई। इस मीटिंग के पूर्व 17–18 जून को सावित्रीबाई फुले विश्वविद्यालय में ″आजीवन सीखने के लिए जमीन तैयार करने हेतु मूलभूत साक्षरता और संख्या ज्ञान″ पर एक राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। 19 जून को सावित्रीबाई फुले विश्वविद्यालय में हीं ″मिश्रित शिक्षा के संदर्भ में बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान सुनिश्चित करना″ विषय पर एक संगोष्ठी आयोजित की गयी जिसमें जी–20 के प्रतिनिधियों ने भी भाग लिया। इस संगोष्ठी में तीन पैनल चर्चाएं भी हुईं जिनमें से एक का विषय था “Creating the Base for Lifelong Learning”.

इस प्रकार यदि देखा जाय तो ज्ञात होता है कि भारत की अध्यक्षता के दौरान जी–20 देशों के समूह ने अपने विमर्श में मौलिक साक्षरता, आजीवन शिक्षण तथा कौशल विकास पर विशेष ध्यान देने की कोशिश की है। जी–20 के नियमों के अनुसार इन चर्चाओं से उभरे महत्वपूर्ण सहमतियों के आधार पर हीं इस समूह का अंतिम घोषणापत्र तैयार होगा। ऐसे में यह सम्मेलन बुनियादी साक्षरता, कौशल विकास तथा आजीवन शिक्षा को गति प्रदान करने में कहां तक सफल होगा यह तो समय हीं बताएगा।

– बी. संजय

प्रौढ़ शिक्षाः एंड्रागॉगी का स्वरूप एवं भूमिका

– अशोक कुमार
– संदीप कुमार

किसी भी राष्ट्र के विकास में शिक्षित एवं कुशल कारीगरों की अहम भूमिका होती है। शिक्षा द्वारा ही व्यक्ति में विभिन्न प्रकार के कौशल और स्वस्थ मानसिकता का विकास संभव है। देखा जाय तो शिक्षा व्यक्ति को रोजगार ही नहीं बल्कि व्यक्ति के चहुंमुखी विकास में सहायक होती है। एक शिक्षित व्यक्ति के मानसिक विकास के साथ–साथ उसका सामाजिक, नैतिक, धार्मिक और राजनैतिक विकास भी होता जाता है। इस तरह शिक्षा व्यक्ति के विकास के लिए परमआवश्यक है। ऐसा कहा जाता है कि अशिक्षित व्यक्ति तो पशु तुल्य है। संस्कृत की एक लोकोक्ति के अनुसार "साहित्य, संस्कृति, कला विहीन व्यक्ति सींग और पूंछ रहित पशु है।" इसी लोकोक्ति को ध्यान में रखकर प्रस्तुत लेख में प्रौढ़ शिक्षण प्रशिक्षण के महत्व पर अधिक ध्यान दिया गया है और प्रशिक्षण को बेहतरीन तरीके से निष्पादित करने के लिए एंड्रगॉगी (प्रौढ़ शिक्षा पद्धति) के स्वरूप और प्रौढ़ों की शिक्षा में इसकी भूमिका पर भी मुख्यरूप से प्रकाश डाला गया है जो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से प्रौढ़ शिक्षण प्रशिक्षण में संलग्न है। प्रौढ़ शिक्षण की समस्याएं और इसके संबंध में सुझाव पर भी चर्चा की गयी है जिससे सभी हितधारक इससे लाभान्वित हो सकेंगे।

शिक्षा किसी राष्ट्र, देश और समाज की एक आधारशिला है। शिक्षा ही सभ्य समाज के लिए सभ्य नागरिक प्रदान करती है। इस तरह निरक्षरता किसी भी समाज व राष्ट्र के लिए एक बड़ी चुनौती है। शिक्षा को अगर वास्तविक अर्थों में देखा जाए तो शिक्षा व्यक्ति को रोजगार के योग्य बनाती है और साथ हीं साथ उसके चहुंमुखी विकास को साकार करती है। शिक्षा व्यक्ति के मानसिक विकास के साथ–साथ उसके सामाजिक, नैतिक, धार्मिक और राजनैतिक विकास के लिए भी महत्वपूर्ण उपादान है। आज भी देश में असाक्षर प्रौढ़ों की बड़ी आबादी मौजूद है जिन्हें साक्षर बनाने में प्रौढ़ शिक्षण की महत्वपूर्ण भूमिका है। ऐसे में प्रौढ़ शिक्षण प्रशिक्षण के महत्व को समझना अत्यंत आवश्यक है और प्रौढ़ों के प्रशिक्षण को बेहतरीन तरीके से करने के लिए इससे संबंधित विभिन्न पद्धतियों और विशेषताओं को भी समझना नितांत जरूरी है।

प्रौढ़ शिक्षा का अर्थ

प्रौढ़ शिक्षा वह शैक्षिक विकल्प है, जो उन सभी प्रौढ़ों को शिक्षित करता है, जो किसी भी कारणवश औपचारिक शिक्षण प्रक्रिया में शामिल नहीं हुए हैं। साथ हीं साथ ये सभी प्रौढ़ औपचारिक शिक्षा की आयु को भी पार कर चुके हैं। लेकिन जीवन के इस पड़ाव पर जीवन को सुगमतापूर्ण चलाने के लिए ये सभी प्रौढ़ कुछ कौशलों की आवश्यकता का अनुभव करते हैं। जैसे साक्षरता, आधारभूत शिक्षा, कौशल

विकास (व्यावसायिक शिक्षा) और इसी तरह की अन्य शिक्षा व कौशल। वे किसी तरह के ज्ञान व कौशल की आवश्यकता का अनुभव करते हैं जिसका उल्लेख नई शिक्षा नीति 2020 में भी किया गया है। समाज को शांतिपूर्ण व व्यवस्थितरूप से चलाने के लिए समाज के हर व्यक्ति का शिक्षित होना व शिक्षा के माध्यम से विभिन्न प्रकार के कौशलों को अर्जित करना महत्वपूर्ण हीं नहीं बल्कि अनिवार्य हो जाता है। शिक्षा हीं किसी सभ्य समाज की आधारशिला होती है। शिक्षा द्वारा ही समाज में हर प्रकार की जागरूकता को बढ़ाया जा सकता है। इसलिए समाज के हर प्रौढ़ को शिक्षित करना और विभिन्न प्रकार के जीवन कौशलों का प्रशिक्षण देकर प्रत्येक प्रौढ़ को शक्तिशाली बनाना आवश्यक है।

प्रौढ़ शिक्षा के कार्यक्रम

सरकार ने इस पक्ष को ध्यान में रखकर ही पहली पंचवर्षीय योजना द्वारा प्रौढ़ों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कई प्रकार के कार्यक्रमों की शुरूआत की थी, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण राष्ट्रीय साक्षरता मिशन (एन.एल.एम) है, जिसके द्वारा एक निश्चित समय में 15–35 वर्ष की आयु समूह में निरक्षरों को कार्यात्मक साक्षरता प्रदान करने के लिए सन् 1988 में इस कार्यक्रम की शुरूआत की थी। दसवीं योजना अवधि के अंत तक एन.एल.एम द्वारा लगभग 127.45 मिलियन प्रौढ़ों को साक्षर किया गया था। आंकड़ों के आधार पर सन् 2001 की जनगणना में पुरूष साक्षरता 75.26 प्रतिशत दर्ज की गयी थी, जबकि महिला साक्षरता 53.67 प्रतिशत के अस्वीकार्य स्तर पर थी। इस जनगणना ने यह भी खुलासा किया कि साक्षरता में लैंगिक और क्षेत्रीय विभिन्नताएं मौजूद रही हैं। इसी पक्ष को ध्यान में रखते हुए सरकार ने 11वीं योजना में दो कार्यक्रमों को नामित किया। एक, साक्षर भारत और दूसरा, प्रौढ़ शिक्षा एवं कौशल विकास हेतु स्वैच्छिक ऐजेंसियों को सहायता की स्कीम की शुरूआत की गयी।

भारत का साक्षरता परिदृश्य

अगर देखा जाए तो 2011 की जनगणना से सिद्ध होता कि भारत ने साक्षरता में काफी उन्नति की है। जिसके कारण पिछले दशक की तुलना में 8.17 प्रतिशत की वृद्धि के साथ सन् 2011 में भारत की साक्षरता 73 प्रतिशत हो गयी थी। जहां वर्ष 2001 में साक्षरता दर 64.83 प्रतिशत थी तो वहीं वर्ष 2011 में साक्षरता दर 73 प्रतिशत तक पंहुच गई। इस प्रकार निरक्षरों की संख्या 2001 में 304.10 मिलियन से घटकर 2011 में 282.70 मिलियन हो गयी थी।

प्रौढ़ शिक्षा के उद्देश्य

प्रौढ़ शिक्षा का महत्वपूर्ण उद्देश्य यह है कि 15–35 वर्ष के प्रौढ़ों में चेतना, जागरूकता और आत्मनिर्भरता जैसे कौशलों का विकास करना जिससे शिक्षा के महत्व को समझकर वे अपने व अपने समाज में होने वाले सभी प्रकार के शोषण को समाप्त करने में सक्षम हो सकें। इसके संदर्भ में देखा जाए तो अशिक्षित प्राणियों का समाज में कुछ मुठ्ठी भर शिक्षितों द्वारा शोषण होता है। अधिकतर प्रौढ़ों

को इस बात का पता ही नहीं होता कि सरकार द्वारा चलाए जा रहे उनके कल्याण के लिए कितने कार्यक्रम हैं और कितनी योजनाएं हैं। ग्रामीण अशिक्षित प्रौढ़ों को देखें तो उन्हें ये पता ही नहीं है कि बैंक उनकी और उनकी खेती के लिए कई प्रकार के ऋण प्रदान करती है, इसलिए वो इसका फायदा भी नहीं ले पाते हैं। इसी तरह जन कल्याण कार्यक्रमों जैसे परिवार नियोजन, प्रदूषण, स्वास्थ्य व सफाई, वृक्षारोपण और कृषि के उन्नत बीजों की भी जानकारी देना नितांत अनिवार्य है। अतः प्रौढ़ों को केवल और केवल अक्षर ज्ञान ही नहीं देना चाहिए, बल्कि अक्षर ज्ञान के साथ–साथ जीवन के उन सभी पहलुओं संबंधित विषयों पर चर्चा करनी चाहिए, जिससे एक सभ्य व खुशहाल समाज की आशा की जा सकती है। इन सभी चर्चित उद्देश्यों को अगर किसी सरकार, समाज व व्यक्तियों के द्वारा हासिल नहीं किया गया तो समाज व राष्ट्र की स्थिति का पूर्वानुमान लगाया जा सकता है। अब इन सभी उद्देश्यों को हासिल करना एक साधारण प्रक्रिया तो हो नहीं सकती है, इसलिए प्रौढ़ों को पढ़ाना वयस्कों को पढ़ाने से बिल्कुल अलग है। इस तरह प्रौढ़ों को किस प्रकार सिखाया जा सकता है, इस पर चर्चा होना नितांत आवश्यक ही नहीं बल्कि बहुत अनिवार्य भी हो जाता है।

प्रौढ़ शिक्षा की तकनीक

प्रौढ़ शिक्षा के उद्देश्यों व महत्व को ध्यान में रखते हुए शिक्षा की प्रक्रिया को सुचारू व प्रभावित तरीके से संचालन करना अनिवार्य हो जाता है। शिक्षा प्रक्रिया को हम तीन मुख्य भागों में विभाजित कर सकते हैं – औपचारिक शिक्षा पद्धति, अनौपचारिक शिक्षा पद्धति और निरोपचारिक शिक्षा पद्धति इत्यादि। बच्चों और वयस्कों के लिए अधिकतर विद्यालयों व शिक्षण संस्थानों में औपचारिक पद्धति का प्रयोग किया जाता है, जिसका केंद्र बिंदु बच्चों व वयस्कों के व्यवहार को एक निश्चित उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए आकार देना होता है पर प्रौढ़ों के लिए अनौपचारिक शिक्षा पद्धति का होना नितांत आवश्यक है, क्योंकि प्रौढ़ों के पास अनुभव अधिक होता है जिसके आधार पर प्रौढ़ उन्हीं विषयों को जानने पर जोर डालेंगे जो उनके दिन–प्रतिदिन की जरूरतों को पूरा करने में सक्षम हो सकेंगे। इन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए अनौपचारिक शिक्षा पद्धति का योगदान काफी महत्वपूर्ण होता है। अनौपचारिक शिक्षा पद्धति के अंतर्गत प्रौढ़ अपने अनुभव के आधार पर कहीं भी कैसे भी सीख सकते हैं। यह पद्धति लचीली होती है, कोई निश्चित समय, पाठ्यक्रम पढ़ाने की पद्धति और स्थान नहीं होता है। इस तरह यह पद्धति बहुत ही लाभदायक होती है। प्रौढ़ों हेतु अनौपचारिक शिक्षा पद्धति में उपयोग की जाने वाली विधियों एवं सिद्धांतों (एंड्रागॉगी) द्वारा सूचनाओं का आदान–प्रदान एवं ज्ञानार्जन किया जाता है। जिस तरह वैयक्तिक भिन्नता है, उसी तरह पढ़ाने की भी कई पद्धतियां होती हैं, जिनमें बच्चों हेतु पैडागॉगी और प्रौढ़ों के लिए एंड्रागॉगी मुख्य रूप से अपनाई जाती है। पैडागॉगी का प्रयोग हम विद्यालयों और औपचारिक संस्थाओं में करते हैं, जहां पर बच्चों को कम अनुभवी मानकर शिक्षक अपनी बात उनके समक्ष रखता है। एंड्रागॉगी का प्रयोग पढ़ाने में वहां किया जाता है, जहां पर प्रौढ़ अधिक अनुभवी होते हैं तथा सूचनाओं और ज्ञान को अपनी शर्तों अर्थात अपनी सुविधानुसार ग्रहण करते हैं। एंड्रागॉगी में

शिक्षक के स्थान पर अनुदेशकों की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है। प्रौढ़ों को शिक्षा प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र पर ही दी जाती है। इन केन्द्रों पर ही प्रौढ़ों के मनोरंजन की भी व्यवस्था होती है। गीत, भजन और नृत्य आदि के द्वारा प्रौढ़ों को शिक्षा की ओर आकर्षित किया जाता है। यहां अक्षर ज्ञान के साथ–साथ जीवन के अन्य कौशलों का भी प्रशिक्षण दिया जाता है।

एंड्रागॉगी के लाभ

एंड्रागॉगी का प्रयोग मुख्यरूप से प्रौढ़ों के साथ चर्चा करने के लिए किया जाता है जिसे चर्चा के आधार पर प्रौढ़ कुछ महत्वपूर्ण परिप्रेक्ष्यों पर विचार करके उनका लाभ प्राप्त करते हैं। एंड्रागॉगी में एक और महत्वपूर्ण संदर्भ है कि जो भी चर्चा होगी उसका केन्द्र बिंदु सीखने वाला होता है न की सिखाने वाला। अतः इसे हम प्रजातांत्रिक पद्धति भी कह सकते हैं। इस तरह इसे सीखने पर केंद्रित पद्धति भी कहा जाता है। इस पद्धति के कुछ फायदों को निम्न बिंदुओं से जान सकते हैंः

लचीली व स्वतंत्र शिक्षा को बढ़ावा देनाः एंड्रागॉगी के पीछे एक महत्वपूर्ण बात ये भी है कि प्रौढ़ अपने सीखने की प्रक्रिया को स्वयं ही लेकर चलना ज्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि वे अपने अनुभव का प्रयोग करके सीखने में ज्यादा आनंदित होते हैं। इस प्रकार प्रौढ़ स्वतंत्र रूप से शिक्षा प्राप्त करना पसंद करते हैं।

समस्या केन्द्रित पद्धति को बढ़ावाः एंड्रागॉगी का अगर विश्लेषण करें तो यह मुख्य रूप से समस्या केंद्रित होती है। प्रौढ़ उसी तरह की सूचनाओं को ग्रहण करने में इच्छुक होते हैं जो सूचनाएं प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से उनके जीवन की समस्याओं को हल करने में सुगम हो। इस तरह समस्या केंद्रित पद्धति को बढ़ावा अपने आप ही मिल जाता है। उदाहरण के लिए अगर किसी प्रौढ़ को जीवनयापन करने के लिए अंग्रेजी भाषा की जरूरत है तो वह हिंदी भाषा की तरफ ज्यादा ध्यान नहीं देगा अर्थात जो समस्या है उसका समाधान चाहिए।

करके सीखनाः प्रौढ़ अपने अनुभव के द्वारा ही सीखते हैं। इनके इस सीखने की प्रक्रिया को प्रायोगिक, लचीली और सक्रिय भागीदारी वाली होनी चाहिए जिससे सीखना काफी आंनदपूर्ण हो जाता है।

प्रासंगिकताः प्रौढ़ों के लिए सीखना–सिखाने की प्रक्रिया प्रासंगिक होनी चाहिए अर्थात उनके जीवन से जुड़ी हो या उनकी जो दिन–प्रतिदिन की समस्याएं हैं उनसे यदि यह प्रक्रिया समस्या हल करने के लिए होगी तो प्रौढ़ इस सीखने–सीखाने की प्रक्रिया में सक्रियरूप से भाग लेने में तत्पर होंगे। इस तरह प्रासंगिकता की भूमिका भी महत्वपूर्ण होती है।

प्रौढ़ शिक्षण प्रक्रिया में अनुदेशकों की भूमिकाः प्रौढ़ शिक्षण प्रक्रिया में जिस तरह अनौपचारिक शिक्षा की भूमिका महत्वपूर्ण है उसी तरह अनौपचारिक शिक्षा में एंड्रागॉजी का परिप्रेक्ष्य भी काफी अर्थपूर्ण हो जाता है। अनुदेशकों का सक्रिय ज्ञानवान सूचनाओं से ओत–प्रोत होने के साथ ही साथ सूचनाओं का प्रस्तुतिकरण करना भी काफी अर्थपूर्ण हो जाता है। इसलिए अनुदेशकों का सक्रियरूप से शिक्षण प्रशिक्षण प्रक्रिया के साथ जुड़ना अर्थपूर्ण है। कैसे कौशलों का विकास हो, किस प्रकार से

सूचनाओं को प्रौढ़ों तक पंहुचाया जाय, इसी के परिप्रेक्ष्य में एंड्रागॉगी का प्रयोग करना लाभदायक होता है। अनुदेशकों की भूमिका के महत्व को देखते हुए निम्न बिंदुओं पर ध्यान दिया जा सकता है:

(अ) **अनुदेशकों का प्रशिक्षण:** प्रौढ़ शिक्षण के महत्व को ध्यान में रखकर सभी अनुदेशकों का समय–समय पर प्रशिक्षण कराया जाना महत्वपूर्ण है जिससे प्रशिक्षक बदलती जरूरतों, परिवेशों और सामाजिक वातावरण की जरूरतों को ध्यान में रखकर ही प्रौढ़ों का शिक्षण करें। इसलिए अनुदेशकों को समय–समय पर प्रशिक्षण प्रदान करने की योजना होनी चाहिए।

(ब) **अनुदेशकों को वेतन, भत्ता या मानदेय:** अनुदेशकों को आकर्षक भत्ता या मानदेय का निर्धारण करना भी अति महत्वपूर्ण है। मानदेय भत्ता अनुदेशकों को उत्साहित करने में काफी मददगार साबित होता है इसलिए सभी अनुदेशकों को कुछ न कुछ मानदेय भत्ता अवश्य प्रदान किया जाना चाहिए।

(स) **शिक्षण अधिगम सामग्री का प्रयोग:** अनुदेशकों द्वारा प्रशिक्षण के दौरान विभिन्न प्रकार के जीवित शिक्षण अधिगम सामग्री का प्रयोग करके प्रौढ़ प्रशिक्षण को और अधिक प्रभावी व आनंदपूर्ण बनाया जा सकता है। इसमें मनोरंजन के साधनों का भी प्रयोग किया जा सकता है जिससे शिक्षण–प्रशिक्षण को और अधिक प्रभावी बनाया जाय।

अतः उपरोक्त बिंदुओं को ध्यान में रखकर हमें अनुदेशकों के इन महत्वपूर्ण बिंदुओं पर केंद्रित होना चाहिए जिससे प्रौढ़ों के शिक्षण–प्रशिक्षण को सफल एवं प्रभावशील बनाया जा सके।

प्रौढ़ शिक्षण की समस्याएं

प्रौढ़ शिक्षा निर्विवादरूप से एक राष्ट्रीय आवश्यकता है। अगर हम बात विकास की करें तो उसका संबंध केवल कल–कारखानों, बांधों और सड़कों से नहीं है। इसका संबंध लोगों की भौतिक, सांस्कृतिक एवं आध्यात्मिक उन्नति से भी होता है। निरक्षरता की वजह से किसी देश या राष्ट्र के विकास की दिशा में किए जाने वाले सभी प्रयास पूर्णरूप से निरर्थक होते जा रहे हैं। इस तरह प्रौढ़ शिक्षा की समस्याओं को निम्नलिखितरूप में जान सकते हैं:

प्रौढ़ शिक्षा केन्द्रों का अनुपयुक्त वातावरण: प्रौढ़ शिक्षा समाज और राष्ट्र के विकास में काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। लेकिन प्रौढ़ों के शिक्षा के केन्द्रों पर ध्यान नहीं दिया जाता है। क्योंकि वहां जो शिक्षा का माहौल है वह बहुत आकर्षक नहीं है। इसलिए प्रौढ़ शिक्षा केन्द्रों पर मनोरंजन और पठन–पाठन प्रक्रिया पर ध्यान देना नितांत आवश्यक होता है।

अनुदेशकों के चयन व प्रशिक्षण में काफी कमी: जब तक प्रौढ़ शिक्षा केन्द्रों पर अनुदेशकों का चयन व प्रशिक्षण उचित प्रक्रिया द्वारा नहीं होगा तब तक प्रौढ़ केन्द्रों का आकर्षक होना संभव नहीं है। समय–समय पर अनुदेशकों को विभिन्न कौशलों जैसा कि नई शिक्षा नीति – 2020 में पांच क्षेत्रों का वर्णन किया है उसके अनुसार ही अनुदेशकों का चयन होना चाहिए। अन्यथा प्रौढ़ शिक्षा केन्द्रों की

समस्याएं ज्यों की त्यों बनी रहेंगी। इसलिए अनुदेशकों का प्रशिक्षण अनिवार्य हो जाता है, जिससे आने वाली समस्याओं से छुटकारा पाया जा सकता है।

अनुदेशकों के मानदेय व भत्ते में कमी: शिक्षा नीतियों में ऐसा देखा गया है कि अनुदेशकों का मानदेय भत्ता वैसे तो है ही नहीं, अगर है तो वह भी नहीं के बराबर। जिसके कारण अनुदेशकों का उत्साह बहुत कम नजर आता है। इसलिए इस तरह के सभी कार्यक्रमों में अनुदेशकों के लिए मानदेय भत्ता प्रस्तावित होना चाहिए।

प्रौढ़ शिक्षा के प्रति जागरूकता की कमी: आज भी समाज में मुठ्ठीभर ही लोग प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम के प्रति जागरूक हैं। जबकि देखा जाए तो समाज में आज भी बहुत से मुद्दों पर नियमित रूप से चर्चा या बातचीत होना अत्यंत आवश्यक हीं नहीं बल्कि अनिवार्य है। इसलिए समाज, राजनीति, राष्ट्र और धार्मिक नैतिकता जैसे मुद्दों पर लगातार बातचीत होनी चाहिए। ऐसे में गांव और कस्बों में जो चौपालें हैं उनकी भूमिका बढ़ जाती है। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से प्रौढ़ शिक्षा के प्रति समाज को जागरूक किया जाना आवश्यक है ताकि सुदृढ़ समाज व राष्ट्र का विकास किया जा सके। इस दृष्टि से देखें तो प्रौढ़ शिक्षा केंन्द्रों के प्रति जागरूकता बढ़नी चाहिए।

प्रौढ़ शिक्षा की समस्या के समाधान हेतु सुझाव

(अ) अनुदेशकों के लिए:

- **अनुदेशकों और प्रौढ़ों में मैत्री का भाव:** प्रौढ़ शिक्षण कार्यक्रम में अनुदेशकों और प्रौढ़ों में कुछ समानताएं होती हैं जैसे उनके अनुभव, सीखने का उत्साह और आयु। इसलिए अनुदेशकों को चाहिए कि शिक्षण–प्रशिक्षण के दौरान वह प्रौढ़ों के साथ मित्रता का व्यवहार करें तथा उनके अनुभव का सम्मान करते हुए हीं प्रशिक्षण क्रिया को चलाएं।
- **प्रशिक्षण क्रिया का दैनिक जीवन से जुड़ाव:** अनुदेशकों को कक्षा में जीवन से जुड़ें अनुभवों को प्रशिक्षण क्रिया से जोड़ना चाहिए। जिससे प्रौढ़ और भी सीखने के प्रति उत्साहित हो सके।
- **जीवन से संबंधित कौशलों पर जोर डालना:** प्रशिक्षण प्रक्रिया में प्रौढ़ों के जीवन से संबंधित कौशलों को विकसित करने पर ज्यादा जोर डालना चाहिए।
- **अधिगम केन्द्रित प्रशिक्षण प्रक्रिया:** प्रशिक्षण प्रक्रिया अधिगम केन्द्रित होनी चाहिए, न कि अनुदेश केंद्रित अर्थात प्रशिक्षण में उन सभी बिंदुओं को शामिल किया जाना चाहिए जो अधिगम को प्रभावशील तरीके से आगे बढ़ाने में सहयोगी हो सकें।
- **गुणी अनुदेशक:** अनुदेशकों को प्रशिक्षण प्रक्रिया के दौरान सभी प्रौढ़ों से एक समान रूप से व्यवहार करना चाहिए। अनुदेशकों में गंभीरता, धैर्य, समझदारी, गतिशीलता और सहानुभूति आदि गुणों का एंड्रागॉजी पद्धति में होना जरूरी है। (हॉल्ट, 1995)

(ब) हितधारकों के लिएः

- **सरकारी एवं गैर–सरकारी संगठनों की भूमिकाः** सरकारी व गैर–सरकारी संगठनों को प्रौढ़ शिक्षा के प्रति लोगों को जागरूक व संवेदनशील बनाने के लिए विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन करना चाहिए। लोगों में प्रौढ़ शिक्षा के प्रति जागरूकता का बहुत अभाव है। अतः इस कार्यक्रम को सफल बनाने में सरकारी एवं गैर–सरकारी संगठनों की भूमिका बहुत अधिका महत्वपूर्ण हो जाती हैं।
- **प्रौढ़ शिक्षा के प्रति सरकार का दायित्वः** सरकार को प्रौढ़ शिक्षा के महत्व को ध्यान में रखकर समाज के लोगों को जागरूक करना चाहिए और इसके लिए समय–समय पर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन करते रहना चाहिए।
- **विद्यार्थियों को जागरूक बनानाः** शिक्षा से संबंधित औपचारिक व अनौपचारिक संस्थाओं के विद्यार्थियों को समय–समय पर प्रौढ़ शिक्षा के प्रति जागरूक करना चाहिए तथा बच्चों को प्रौढ़ शिक्षा के महत्व को नाटकों, पोस्टरों, स्लोगनों और घटनाओं के द्वारा बताना चाहिए।
- **समाज के मुखियाओं की भूमिकाः** समाज के मुखियाओं द्वारा भी प्रौढ़ शिक्षा के महत्व को समाज के हर व्यक्ति तक पंहुचाने का प्रयास करना चाहिए। इसके लिए कार्यक्रम को उनके जीवन से जोड़कर जागरूकता उत्पन्न की जा सकती है।
- **एंड्रागॉगी पद्धति का प्रयोगः** इस प्रकार सभी संस्थाओं के मुखियाओं और संस्थाओं के अनुदेशकों को प्रशिक्षण व जागरूकता कार्यक्रमों में एंड्रागॉगी पद्धति का ही प्रयोग करना चाहिए जिससे जागरूकता के सभी कार्यक्रमों को सफल बनाया जा सकता है।

निष्कर्ष

इस प्रकार यह स्पष्ट होता है कि शिक्षा समाज, व्यक्ति और राष्ट्र के लिए महत्वपूर्ण हीं नही बल्कि अनिवार्य भी होती है। शिक्षा जीवन पर्यन्त चलने वाली प्रक्रिया है, जिसमें उम्र किसी भी प्रकार से बाधक नहीं हो सकती। इसी तथ्य को ध्यान में रखकर सरकार ने प्रौढ़ों के लिए शिक्षा का प्रावधान किया है, ताकि जो किसी भी कारण अपनी औपचारिक शिक्षा पूरी करने में असमर्थ रहे हैं अर्थात अपनी शिक्षा पूर्ण नहीं कर सके वे भी शिक्षित हो सकें। सरकार के इस प्रकार के अभियानों से उन प्रौढ़ों को अधिक फायदा होता है जो कभी औपचारिक शिक्षा प्रक्रिया में शामिल नहीं हुए हैं। ये पढ़े–लिखे तो नहीं हैं और न हीं इन्हें पढ़ने का समय मिलता है। अतः यह अनिवार्य हो जाता है कि इस दिशा में हर संभव प्रयास किए जाएं।

इस प्रकार प्रौढ़ शिक्षा प्रशिक्षण में अनौपचारिक रूप से पढ़ाना और प्रशिक्षण प्रक्रिया में एंड्रागॉगी पद्धति का प्रयोग करके प्रौढ़ों के जीवन व जीविका कमाने के कौशलों को प्रभावपूर्ण विधि से विकसित

किया जा सकता है। इससे किसी न किसी रूप में प्रौढ़ों को रोजगार प्राप्त होता है। रोजगार के माध्यम से समाज में रहने वाले सभी प्रौढ़ों के जीवन जीने में व्यापक सुधार किया जा सकता है।

संदर्भ

1. नावल्स, एम.एस (1984). एंड्रागॉगी इन एक्शनः एपलाइंग मॉडर्न प्रिंसिपल्स ऑफ एडल्ट लर्निंग. सैन फ्रैनसिस्को, सीएः जोसे. बास।
2. रेचल, जे.आर. (2002). एंड्रागागीज डिटेक्टिवसः ए क्रिटिक ऑफ द प्रेजेंट एण्ड प्रोपोजल फॉर द फ्यूचर. एडल्ट एजूकेशन क्वाटरली, 52(3), 210–227।
3. वेल्ला. जे. (1994). लर्निंग टू लिसन, लर्निंग टू टीच. सैन फ्रैनसिस्को, सीएः जोसे. बास।
4. https://www.census2011.co.in/literacy.php
5. न्यू एजूकेशन पॉलिसी (2020). डिर्पाटमेंट ऑफ एजूकेशन, गवरमेंट ऑफ इंडिया।

PROUDH SHIKSHA
Form IV

1.	Place of Publication	Indian Adult Education Association 17-B, Indraprastha Estate, New Delhi – 110 002
2.	Periodicity of Publication	Biannaul
3.	Printer's name Nationality Address	Suresh Khandelwal Indian 17-B, Indraprastha Estate, New Delhi – 110 002
4.	Publisher's name Nationality Address	Suresh Khandelwal Indian 17-B, Indraprastha Estate, New Delhi – 110 002
5.	Editor's name Nationality Address	Suresh Khandelwal Indian 17-B, Indraprastha Estate, New Delhi – 110 002
6.	Name and address of individuals who own the newspaper and partners or shareholders, holding more than one percent of the total capital	Indian Adult Education Association 17-B, Indraprastha Estate, New Delhi – 110 002

I, Suresh Khandelwal, hereby declare that the particulars given above are true to the best of my knowledge and belief.

Dated: 28-2-2023

Sd/-
Suresh Khandelwal
Publisher

जनपद नैनीताल में आँगनबाड़ी शिक्षा व्यवस्था का अध्ययन

– अनीता जोशी
– साक्षी कडेवाल

किसी भी समाज की शिक्षा व्यवस्था उस समाज के स्वरूप, उसकी चिन्तन प्रक्रिया को प्रदर्शित करती है। मनुष्य जन्म के पश्चात ही अनौपचारिक शिक्षा की प्रक्रिया के अन्तर्गत निरन्तर सीखते हुए अपना विकास करता है। देश को सुदृढ़ तथा सशक्त बनाने हेतु प्रत्येक नागरिक का स्वस्थ एवं शिक्षित होना आवश्यक है। शिक्षा व्यैक्तिक रूप से मनुष्य को वह सब प्राप्त करने में सहायता करती है, जिसकी वह आकांक्षा करता है। देश की अत्यधिक जनसंख्या व सीमित साधनों तथा कमजोर सामाजिक व आर्थिक परिस्थिति के कारण छोटे बच्चों में स्वास्थ्य व शिक्षा सम्बन्धी तथा किशोरियों एवं गर्भवती महिलाओं में स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं देखने को मिलती हैं। अधिकांश महिलाएं व बच्चे कुपोषण के शिकार हो जाते हैं। इसी कारण सरकार द्वारा 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के लिए एकीकृत बाल विकास सेवाओं की शुरूआत की गयी। आँगनबाड़ी एकीकृत बाल विकास सेवा का ही दूसरा नाम है। बच्चों के भूख और कुपोषण से निपटने के लिए एकीकृत बाल विकास सेवा कार्यक्रम 2 अक्टूबर 1975 को राष्ट्रपिता महात्मा गाँधी जी की 106वीं जयन्ती के अवसर पर भारत सरकार द्वारा शुरु किया गया था। सन् 1975 में प्रयोग के रूप में यह कार्यक्रम देश के कुछ चुने हुए विकास खण्ड़ों तथा कुछ ऐसे पिछड़े शहरी क्षेत्रों में प्रारम्भ किया गया, जहाँ अपेक्षाकृत अधिक निर्धन, कुपोषित, अनपढ़, भ्रमित और उपेक्षित लोग रहते थे और जिनके बच्चों, गर्भवती तथा धात्री माताओं को बाहरी सहायता की किसी न किसी रूप में अविलम्ब आवश्यकता थी। ऑगनबाडी के माध्यम से वस्तुतः छोटे बच्चों में शिक्षा, किशोरियों की स्वास्थ्य शिक्षा तथा गर्भवती महिलाओं की स्वास्थ्य संबंधी शिक्षा एवं सेवा उपलब्ध कराने का प्रयास किया गया।

उत्तराखण्ड के सभी 13 जिलों के 95 विकास खण्डों में 14947 आँगनबाड़ी व 5110 मिनी आँगनबाड़ी केन्द्र चल रहे हैं। एकीकृत बाल विकास सेवा कार्यक्रम में सर्वप्रथम सभी सेवाओं जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा, पोषण सेवाओं को संगठित करके एक साथ बच्चों तथा माताओं को देने का प्रयास किया गया। सभी सेवाओं का समन्वय तथा मां और शिशु को एक इकाई समझना इस कार्यक्रम की मुख्य विशेषता है (डी.डब्ल्यू.ई.सी.डी, 2022)। इस प्रकार आँगनबाड़ी माँ और बच्चों की देखभाल का केन्द्र है। इस केन्द्र को पूर्व बाल्यावस्था देखभाल व शिक्षा केन्द्र (ईसीसीई) के नाम से भी जाना जाता है। विकास की प्रारम्भिक अवस्था में बच्चों की शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक एवं सामाजिक

वृद्धि तीव्र होती है। न्यूरो साइंस के क्षेत्र में किए गये शोध यह बताते हैं कि 90 प्रतिशत मस्तिष्क का विकास 6 वर्ष की अवस्था तक हो जाता है (एम.डब्ल्यू.सी.डी., 2022)। अतः प्रारम्भिक 6 वर्ष बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, परन्तु बहुत से बच्चों की रहन–सहन की स्थितियॉं प्रतिकूल होने के कारण उन्हें पोषण व स्वास्थ्य सुविधाएँ उपलब्ध नहीं हो पाती जिसका प्रभाव उनके शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य पर पड़ता है। इसी को ध्यान में रखते हुए 6 माह से 6 वर्ष तक के बच्चों के पोषाहार व 3 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा की संस्थागत व्यवस्था ऑगनबाडी के रूप में की गयी है। भारत में 6 वर्ष तक के बच्चों की शिक्षा की जिम्मेदारी महिला एवं बाल विकास विभाग की है। महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा ही शिक्षा मंत्रालय के अधीन ऑगनबाडी केन्द्र संचालित किये जाते हैं (सूद, 2003)। ऑगनबाडी शिक्षा, स्वास्थ्य व पोषाहार की सेवाएँ प्रदान कर बालक के गुणात्मक विकास में योगदान देती है। बाल्यावस्था में उपयुक्त भोजन व शिक्षा प्राप्त न होने पर बच्चे समाज के विकास के कार्यकर्ता न होकर समाज पर भार बन जाते हैं (सिंह, 2020)। इनके माध्यम से उचित पोषाहार, स्वास्थ्य सेवाएं, खेल सामग्री, बच्चों की पुस्तकें तथा बुनियादी शिक्षा प्रदान की जाती है। ऑगनबाड़ी योजना का उददेश्य है कि बच्चों का विकास सही दिशा में हो। आँगनवाड़ी योजना के निम्नलिखित उद्देश्य हैं:

- 6 वर्ष से कम उम्र के बालकों की पोषण तथा स्वास्थ्य संबंधी स्थिति में सुधार लाना।
- बालकों के उचित शारीरिक, मानसिक और सामाजिक विकास के लिए नींव रखना।
- शिशु मृत्यु दर, बीमारी, कुपोषण तथा स्कूली पढ़ाई छोड़ने वाले बच्चों की संख्या में कमी लाना।
- बाल विकास को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न विभागों के बीच प्रभावकारी समन्वय स्थापित करना।
- उचित पोषाहार व स्वास्थ्य शिक्षा द्वारा बालकों के सामान्य स्वास्थ व पोषण संबंधित आवश्यकताओं की पूर्ति व विकास के लिए माताओं को योग्य बनाना (डी.डब्ल्यू.ई.सी.डी., 2022)।

ग्रामीण हो या शहरी, हर क्षेत्र में लगभग 400 से 800 लोगों की जनसंख्या पर एक आँगनबाड़ी बनाई जाती है। जनसंख्या के आधार पर ग्राम पंचायत क्षेत्र में एक अथवा एक से अधिक आँगनबाड़ी केन्द्र हो सकते हैं। पहाड़ी/जनजातीय क्षेत्र में 300 से 800 की जनसंख्या पर आँगनबाड़ी केन्द्र खोले जाते हैं। कम आबादी वाले ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र में 150 से 400 लोगों की जनसंख्या पर तथा पहाड़ी/जनजातीय क्षेत्र में 150 से 300 की जनसंख्या पर लघु आँगनबाड़ी केन्द्र खोले जा सकते हैं। आँगनबाड़ी कार्यकर्ता तथा आँगनबाड़ी सहायिका आँगनबाड़ी केन्द्र को चलाते हैं। लघु आँगनबाड़ी केन्द्र मात्र आँगनबाड़ी कार्यकर्ता के द्वारा संचालित किये जाते हैं (सिंह एवं छेत्री, 2014)। ऑगनबाडी कार्यकर्ता उसी क्षेत्र की महिला होती है जहॉ वह केन्द्र होता है। वह गॉव के लोगों तथा स्वास्थ्य शिक्षा, ग्रामीण विकास और

अन्य विभागों के पदाधिकारियों के साथ समन्वय करते हुए एकीकृत बाल विकास सेवा (आई.सी.डी.एस) का क्रियान्वयन करती है। प्रत्येक 25 आँगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए एक आँगनवाड़ी पर्यवेक्षक नियुक्त होती है जिसे मुख्य सेविका भी कहा जाता है; और जो आँगनवाड़ी कार्यकर्ता व सहायिका के कार्य के संबंध में निरीक्षण तथा मार्गदर्शन प्रदान करती है। (ई–ज्ञानकोष)।

आँगनबाड़ी छोटे बच्चों की आवश्यकताओं तथा देखभाल के बारे में जागरुकता फैलाने के साथ ही माताओं को उचित पोषाहार व स्वास्थ्य शिक्षा प्रदान करते हुए उन्हें बालकों के सामान्य स्वास्थ व पौष्टिक आवश्यकताओं की देखभाल के योग्य बनाने का कार्य करती है। इसके लिए उन्हें शिक्षा, स्वास्थ्य, ग्राम्य विकास तथा पंचायती राज विभागों द्वारा सहयोग प्रदान किया जाता है। प्राथमिक शिक्षा विभाग द्वारा एक किट प्रदान किया जाता है तथा स्थान की उपलब्धता होने पर प्राथमिक विद्यालयों के अहाते में ऑगनबाड़ी हेतु स्थान उपलब्ध कराया जाता है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा पोषण व स्वास्थ्य शिक्षा प्रदान करने के साथ ही स्वास्थ्य परीक्षण, टीकाकरण तथा रेफरल सेवाएँ प्रदान की जाती हैं। ऑगनबाडी केन्द्र हेतु भूमि प्रदान करने व विभिन्न गतिविधियों के आयोजन के संदर्भ में पंचायती राज विभाग अनुश्रवण का कार्य करता है (डी.डब्ल्यू.ई.सी.डी.उत्तराखण्ड, 2022)। पारंपरिक व्यवस्था के अन्तर्गत एकीकृत बाल विकास सेवा के तहत आँगनबाड़ी केन्द्रों के माध्यम से लाभार्थियों को 6 विशिष्ट सेवाएं –(1) पूरक पोषाहार (2) पोषण एवं स्वास्थ्य परामर्श (3) टीकाकरण (4) स्कूल पूर्व शिक्षा (5) स्वास्थ्य जॉच तथा (6) संदर्भ सेवाएं प्रदान की जाती हैं।

अक्टूबर 2012 से भारत सरकार द्वारा ऑगनबाड़ी कार्यक्रम का पुनर्गठन एवं रूपान्तरण करते हुए ऑगनबाड़ी को बाल्यावस्था देखभाल व विकास केन्द्र के रूप में विकसित किया है। इसका उद्देश्य 6 वर्ष से कम आयु के बालकों का सर्वागींण विकास (शारीरिक, मनोवैज्ञानिक, ज्ञानात्मक व भावात्मक) करना है। इसके साथ ही बच्चों की स्थिति व नाजुकता के संदर्भ में सामुदायिक भागीदारी व सामुदायिक जागरूकता के प्रावधान के साथ ही सशक्त भागीदारी व प्रबन्ध सूचना प्रणाली का भी प्रावधान किया गया है। पुनर्गठित ऑगनबाड़ी कार्यक्रम के तहत नई–पुरानी सेवाओं को चार मुख्य सेवाओं में बॉटा गया है:

1. शैशव देखभाल, शिक्षा और विकास
2. देखभाल और पोषाहार सलाह
3. स्वास्थ्य सेवाएँ
4. सामुदायिक चेतना, जागरूकता और सूचना शिक्षा और संचार

शैशव देखभाल, शिक्षा और विकास के अन्तर्गत अनौपचारिक स्कूल पूर्व शिक्षा तथा पूरक पोषाहार की व्यवस्था की जाती है। देखभाल और पोषाहार सलाह के अन्तर्गत प्रत्येक आँगनबाड़ी केन्द्र में 15 से 45 वर्ष की महिलाओं ,गर्भवती एवं दूध पिलाने वाली महिलाओं को शिशु देखभाल एवं पोषण संबंधी सलाह दी जाती है। स्वास्थ्य सेवाओं के अन्तर्गत टीकाकरण, स्वास्थ्य जांच तथा संदर्भ सेवाएँ

प्रदान की जाती हैं। सामुदायिक चेतना, जागरूकता और सूचना शिक्षा और संचार के अन्तर्गत ऑगनबाड़ी से जुडे सदस्यों का कार्य बाल विकास व अनुपोषण के संदर्भ में समुदाय के सदस्यों को सचेत कराना होता है। इसके लिए सूचना व संचार सामग्री का प्रयोग किया जाता है।

आँगनबाड़ी का महत्व उन बच्चों के लिए और बढ़ जाता है, जिनके माता–पिता को अक्षर ज्ञान नहीं होता जिस कारण वे अपने बच्चों को समुचित वातावरण प्रदान करने में असमर्थ होते हैं तथा उनके शारीरिक व मानसिक विकास में अपेक्षित योगदान नहीं कर पाते। अक्टूबर 2012 से भारत सरकार ने आँगनवाड़ी कार्यक्रम का पुनर्गठन एवं रूपान्तरण करते हुए आँगनवाड़ी को बाल्यावस्था देखभाल व विकास केन्द्र के रूप में विकसित करने का लक्ष्य रखा, जिसका उद्देश्य 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों का सर्वांगीण विकास (शारीरिक, मनोवैज्ञानिक, ज्ञानात्मक तथा भावात्मक) करना तथा बच्चों की स्थिति एवं नाजुकता के संदर्भ में सामुदायिक भागीदारी व सामुदायिक जागरूकता विकसित करना था। इसके साथ ही सशक्त मानीटरिंग तथा प्रबन्धन सूचना प्रणाली को भी विकसित किया गया है (सिंह एवं छेत्री, 2014)।

आँगनबाड़ी योजना का उददेश्य यह भी है कि बच्चों के विकास के साथ ही उनके माता–पिता को विटामिन व पोषण युक्त भोजन तथा बाल विकास के बारे में सही जानकारी हो। इसी कारण इन केन्द्रों के माध्यम से पोषण शिक्षा भी प्रदान की जाती है। यह शिक्षा गर्भवती, स्तनपान कराने वाली तथा अन्य सभी महिलाओं व किशोरियों के लिए होती है। इन आँगनबाड़ी केन्द्रों के द्वारा गर्भवती व धात्री महिलाओं को उनके स्वयं के लिए तथा उनके बच्चों के लिए स्वास्थ्य संबंधी जानकारी दी जाती है। स्वास्थ्य व शिक्षा आपस में एक–दूसरे से सम्बन्धित हैं। इसी कारण पोषण व शिक्षा को एक–दूसरे से समन्वित कर महिलाओं व बच्चों को शिक्षित करने का प्रयास किया जा रहा है। इस प्रकार आँगनबाड़ी केन्द्र बच्चों का पोषण, स्वास्थ्य और स्कूल से पहले की शिक्षा को बेहतर बनाने के साथ–साथ धात्री महिलाओं के लिए एक सामुदायिक कार्यक्रम है।

अध्ययन के उद्देश्य

आँगनबाड़ी केन्द्रों में संचालित होने वाली शिक्षा व स्वास्थ्य शिक्षा से संबंधित सेवाओं का विवरण ज्ञात करना।

- आँगनबाड़ी केन्द्रों की संरचनात्मक स्थिति ज्ञात करना।
- 3 से 6 साल के बच्चों के लिए शिक्षा सेवाओं की जानकारी प्राप्त करना।
- 6 माह से 6 साल के बच्चों के लिए पोषण सेवाओं की जानकारी प्राप्त करना।
- किशोरी बालिकाओं की स्वास्थ्य व शिक्षा सम्बन्धी कार्यक्रमों की जानकारी प्राप्त करना।
- गर्भवती महिलाओं की स्वास्थ्य शिक्षा व पोषाहार के संदर्भ में प्रदान की जा रही सेवाओं के विषय में जानकारी प्राप्त करना।

Final PS Jan-Jun'23_feb'11 pror shiksha.qxd 7/6/2023 2:45 PM Page 16

शोध अध्ययन की विधि

प्रस्तुत शोध की प्रकृति गुणात्मक है। शोधार्थी ने अनुसंधान की ऐतिहासिक विधि के अन्तर्गत प्रामाणिक आँकड़ों की जानकारी प्राप्त करने के उद्देश्य से प्राथमिक व द्वितीयक स्रोतों से आँकड़े एकत्र किये। सर्वप्रथम द्वितीयक स्रोत के अन्तर्गत आँकड़ों का संग्रह करने के लिए शोधाथिर्यों द्वारा वेबसाइट तथा अन्य प्रकाशित सामग्री के माध्यम से सूचनाओं का संग्रह किया गया। तत्पश्चात प्राथमिक स्रोत के अन्तर्गत उत्तराखण्ड राज्य के नैनीताल जनपद के हल्द्वानी क्षेत्र में संचालित 13 आँगनबाड़ी केन्द्रों की कार्यकर्ताओं तथा मुख्य सेविकाओं से साक्षात्कार द्वारा जानकारी एकत्र की गई तथा क्षेत्र में जाकर अवलोकन कार्य किया गया।

शोध परिणाम

आँगनबाड़ी सेवा योजना प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल तथा विकास के लिए चलाए जाने वाले विश्व के सबसे बड़े और अद्वितीय कार्यक्रमों में से एक है। यह योजना देश के बच्चों एंव स्तनपान कराने वाली माताओं के लिए एक ओर स्कूल पूर्व अनौपचारिक शिक्षा प्रदान कराने तथा दूसरी ओर कुपोषण रूग्णता दर कम करने, अधिगम क्षमता बढ़ाने और मृत्यु–दर के दुष्चक्र को तोड़ने के लिए देश की प्रतिबद्धता का प्रमुख प्रतीक है (डी.डब्ल्यू.ई.सी.डी., 2019)। शोधार्थियों को शोध के उपरान्त निम्नलिखित परिणाम प्राप्त हुए:

1. आँगनबाड़ी केन्द्र में संचालित शिक्षा व स्वास्थ्य शिक्षा सेवाओं का विवरण

शोधार्थियों ने वेबसाइट द्वारा उपलब्ध जानकारी तथा साक्षात्कार के आधार पर यह पाया कि जनपद में पारंपरिक व्यवस्था के अन्तर्गत आँगनबाड़ी केन्द्रों के माध्यम से लाभार्थियों को 6 विशिष्ट सेवाएं एकीकृत बाल विकास सेवा के अंतर्गत प्रदान की जाती है:

(1) पूरक पोषाहार

(2) पोषण एवं स्वास्थ्य शिक्षा

(3) टीकाकरण

(4) पूर्व बाल्यावस्था देखभाल एवं शिक्षा

(5) स्वास्थ्य जॉच

(6) संदर्भ सेवाएं

पूरक पोषाहार: इस सेवा का उद्देश्य बच्चों और महिलाओं के पोषण की विशिष्ट आवश्यकताओं के लिए समुदाय को जाग्रत कर कुपोषण को समाप्त करना है। इस योजना के तहत 6 वर्ष तक के बच्चों, गर्भवती एवं दूध पिलाने वाली महिलाओं को वर्ष में 300 दिन पूरक आहार उपलब्ध कराया जाता है। पूरक पोषाहार के अंतर्गत दो विधियों से पोषाहार प्रदान किया जाता है:

पका हुआ भोजन: 3 से 6 वर्ष की आयु के बच्चों को आँगनबाड़ी केन्द्र में माता–समिति के

माध्यम से पूरक आहार के रुप में गर्म पका हुआ भोजन एवं अल्पाहार उपलब्ध कराया जाता है। आँगनबाड़ी केन्द्रों की कार्यकर्ताओं द्वारा बताया गया कि अप्रैल माह से राशन उपलब्ध न होने के कारण वर्तमान में पका हुआ भोजन उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है।

टेक होम राशनः 6 माह से 3 वर्ष तक के बच्चों तथा गर्भवती एवं धात्री महिलाओं को टेक होम राशन के रुप में पौष्टिक आहार दिये जाने का प्रावधान है। इस प्रावधान के तहत लाभार्थियों को एकमुश्त साप्ताहिक राशन (माह में 25 दिन) उपलब्ध कराया जाता है। अति कुपोषित वर्ग के बच्चों को स्वास्थ्य विभाग के परामर्श से दोगुनी मात्रा में पूरक आहार उपलब्ध कराया जाता है। आँगनबाड़ी केन्द्रों की कार्यकर्ताओं द्वारा अवगत कराया गया कि अप्रैल माह से टेक होम राशन उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है।

पोषण एवं स्वास्थ्य शिक्षाः प्रत्येक आँगनबाड़ी केन्द्र में गर्भवती एवं दूध पिलाने वाली महिलाओं, किशोरियों एवं 15 से 45 वर्ष की आयु की महिलाओं को स्वास्थ्य एवं पोषण संबंधी शिक्षा दी जाती है। ग्रामीण स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस पर स्वास्थ्य विभाग के प्रतिनिधि विशेष रुप से आँगनबाड़ी केन्द्रों पर उपस्थित रहते हैं। इस सेवा का मुख्य उद्देश्य लाभार्थियों को जानकारी प्रदान करना और आई.सी.डी.एस की सेवाओं की मांग को प्रोत्साहित करना है।

टीकाकरणः प्रत्येक आँगनबाड़ी केन्द्र हेतु एक माह में एक बार (शनिवार) स्वास्थ्य विभाग के समन्वय से ग्रामीण स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस का आयोजन किया जाता है। इस अवसर पर बच्चों और गर्भवती महिलाओं को टीकाकरण की सेवाएं प्रदान की जाती हैं।

पूर्व बाल्यावस्था देखभाल एवं शिक्षाः इसके अन्तर्गत आँगनबाड़ी केन्द्र में, प्रत्येक बच्चे का वजन मापा जाता है और बच्चों की वृद्धि की निगरानी की जाती है। वजन मापने के लिए वजन पैमाना, वजन दर्ज करने के लिए ग्रोथ चार्ट बुकलेट केन्द्र में उपलब्ध रहती है। अति कुपोषित बच्चों के वजन प्रबंधन और उन के परिवारों को परामर्श दिया जाता है।

आँगनबाड़ी केन्द्रों पर 3 से 6 वर्ष की आयु के बच्चों को पूर्व–विद्यालय शिक्षा दी जाती है। अनौपचारिक स्कूल पूर्व शिक्षा का उददेश्य बच्चों को सीखने लायक वातावरण उपलब्ध कराना है। इसके अन्तर्गत आँगनबाड़ी केन्द्रों को प्री–स्कूल शिक्षा किट तथा खिलौने प्रदान किये गये हैं, जिनके माध्यम से बच्चों को खेल–खेल में पूर्व–विद्यालयी शिक्षा दी जाती है।

स्वास्थ्य जॉचः प्रत्येक आँगनबाड़ी केन्द्र में स्वास्थ्य विभाग के समन्वय से आयोजित ग्रामीण स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस पर ही बच्चों, किशोरियों और गर्भवती और दूध पिलाने वाली महिलाओं की स्वास्थ्य जांच, प्रसव पूर्व और प्रसव के बाद की सेवाएं प्रदान की जाती हैं। प्रत्येक आँगनबाड़ी केन्द्र में स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से दवा किट की व्यवस्था भी रहती है। दवा किट में सामान्य बीमारियों की दवाएं होती हैं।

संदर्भ सेवाएंः अति कुपोषित वर्ग के बच्चों को आँगनबाड़ी कार्यकर्ता द्वारा स्वास्थ्य विभाग रेफर करने के लिए रेफरल स्लिप जारी की जाती है। जिन बच्चों को स्वास्थ्य जॉच की जरूरत है उन्हें ऑगनबाड़ी कार्यकर्ता स्वास्थ्य केन्द्र/सरकारी अस्पतालों में भेजती हैं। विशेष संदर्भों में उन्हें अस्पताल द्वारा एम्स रेफर किया जाता है जहॉ उनके इलाज की निशुल्क व्यवस्था होती है।

2. आँगनबाड़ी केन्द्रों की संरचनात्मक स्थिति

आँगनबाड़ी केन्द्रों में बिजली, पानी, रसोई तथा शौचालय की सुविधा उपलब्ध होती है। शोधार्थियों ने साक्षात्कार के समय अवलोकन में भी पाया कि उक्त सुविधाऍ केन्द्रों में उपलब्ध थीं। जनपद में कुछ केन्द्र प्राथमिक विद्यालय के परिसर में तथा कुछ किराये के भवनों में संचालित किये जा रहे हैं। कुछ केन्द्रों पर पृथक से रसोई की व्यवस्था है जबकि कुछ केन्द्रों में यह व्यवस्था नहीं है।

3. आँगनबाड़ी केन्द्रों में 3 से 6 वर्ष के बालकों की शिक्षा व्यवस्था

आँगनबाड़ी केन्द्रों पर 3 से 6 वर्ष की आयु के बच्चों को खेल के माध्यम से पूर्व–विद्यालयी शिक्षा दी जाती है। इसके अन्तर्गत आँगनबाड़ी केन्द्रों को प्री–स्कूल शिक्षा किट, खेल सामग्री, बैठने के लिए फर्नीचर, बालवाटिका पुस्तक, खिलौनो की सुविधाएँ प्रदान किये गये हैं। 3 वर्ष तक के बच्चे आँगनबाड़ी केन्द्र पर नहीं आते जबकि 3 से 6 वर्ष के बच्चों को आँगनबाड़ी केन्द्र में खेल के माध्यम से पढ़ाया जाता है। कुछ केन्द्रों पर 5 से 6 आयु वर्ग के बच्चों को बालवाटिका अभ्यास पुस्तिका के माध्यम से पढ़ाया जाता है। यह पुस्तिका तीन भागों में है। बाल वाटिका भाग–1 स्वास्थ्य से सम्बन्धित है जिसमें खेलना–कूदना, स्वच्छता तथा अच्छी आादतों से सम्बन्धित गतिविधियॉ दी गयी है। बाल वाटिका भाग–2 पुस्तिका का शीर्षक संवाद है। इसमें वर्णों की ध्वनियों से सम्बन्धित मौखिक गतिविधियों के साथ ही वर्णों की पहचान से सम्बधित गतिविधयॉ दी गयी हैं। बाल वाटिका भाग–3 सृजन के अन्तर्गत कम–ज्यादा, उपर–नीचे, पैटर्न पहचान, अन्तर ढूॅढना, रंग भरना, समान–असमान जैसी सृजनात्मक गतिविधियॉ दी गयी हैं। कार्यकर्ताओं हेतु भी हस्त पुस्तिका प्रदान की गयी है, जिसमें बच्चों के विकास के छः आयामों – शारीरिक, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता, संज्ञानात्मक विकास, सामाजिक एवं पर्यावरण विकास, भाषाई विकास, सृजनात्मक विकास, संवेगात्मक विकास पर आधारित गतिविधियां समाहित हैं। साथ ही इन्हें सम्पन्न कराने हेतु दिशानिर्देश प्रदान किये गये हैं, परन्तु यह पुस्तिका उन्हीं केन्द्रों को प्रदान की गयी हैं जो प्राथमिक विद्यालय के 100 मीटर के दायरे में स्थित हैं। इसके साथ ही बच्चों को खिलौने के माध्यम से खेल ही खेल में पढ़ाया जाता है तथा बच्चों को खेलने के लिए खिलौने भी दिये जाते हैं। प्रत्येक ऑगनबाडी केन्द्र को 2 पेटी खिलौने प्रदान किये गये हैं।

4. आँगनबाड़ी केन्द्र में 6 माह से 6 वर्ष के बच्चों हेतु पोषण सेवाऍ

आँगनबाड़ी केन्द्रों में 6 माह से 3 वर्ष के बच्चों को खाद्य पदार्थ सर्दियों व गर्मियों में घर के लिए दी जाती हैं। सर्दियों में दलिया, गुड़, भुना चना, मूँग दाल तथा गर्मियों में गुड़ के स्थान पर

छुआरा प्रदान किया जाता है। तीन से छ वर्ष तक के बच्चों को खाद्य पदार्थ सर्दी व गर्मियों में आँगनबाड़ी केन्द्रों में ही पके भोजन के रूप में खिलाया जाता है जिसमें दलिया, दाल–चावल, दूध, अण्डा व गर्मियों में इसके साथ ही उबला चना व केला भी खिलाया जाता है। सप्ताह के विभिन्न दिनों में विभिन्न प्रकार का पोषक आहार प्रदान किया जाता है, जिसका विवरण तालिका–1 में प्रस्तुत किया गया है–

तालिका –1

साप्ताहिक पोषण आहार का विवरण

दिन	सुबह का नाश्ता	दोपहर का भोजन
सोमवार	दूध	दाल–चावल
मंगलवार	दूध	दलिया
बुधवार	अण्डा	खिचड़ी
बृहस्पतिवार	दूध	दाल–चावल
शुक्रवार	दूध	दलिया
शनिवार	अण्डा	खिचड़ी

वर्तमान में दोपहर का भोजन प्रदान नहीं किया जा रहा है।

उपरोक्त तालिका–1 से स्पष्ट है कि सप्ताह के दो दिन सुबह के नाश्ते में अण्डा तथा चार दिन दूध दिया जाता है। दोपहर के भोजन में दो दिन दाल–चावल, दो दिन दलिया व दो दिन खिचड़ी दी जाती है। ऑगनबाड़ी केन्द्रों में कार्यकर्ता महिलाओं द्वारा यह भी सूचित किया गया कि अप्रैल माह से केन्द्रों को राशन उपलब्ध न होने के कारण पका हुआ भोजन उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है। केले के चिप्स व हफ्ते में दो दिन अण्डे प्रदान किये जा रहे हैं।

5. किशोरी बालिकाओं हेतु स्वास्थ्य व शिक्षा सम्बन्धी कार्यक्रमों का विवरण

आँगनबाड़ी केन्द्रों में मुख्य सेविकाओं से साक्षात्कार के आधार पर शोधार्थियों ने पाया कि ''किशोरी शक्ति योजना'' अर्थात् स्कूल न जाने वाली 11 से 18 वर्ष की बालिकाओं को शारीरिक व मानसिक रुप से सशक्त बनाने के लिए, किशोरावस्था में हार्मोनल बदलाव, व्यक्तिगत स्वच्छता, कौशल शिक्षा, सामाजिक जागरुकता एवं औपचारिक स्कूली शिक्षा आदि के विषय में प्रशिक्षण दिया जाता है। वर्ष 2018 से उत्तराखण्ड के सभी जिलों में यह योजना शुरु की गयी है। साथ ही आँगनबाड़ी केन्द्र की सुपरवाइजर द्वारा यह भी बताया गया कि वर्तमान में केन्द्र में किशोरियां नहीं आ पाती हैं क्योंकि वे नियमित छात्रा के रुप में विद्यालयों में पंजीकृत हैं। माह में एक बार व्यक्तिगत प्रयासों से उन्हें

Final PS Jan-Jun'23_feb'11 pror shiksha.qxd 7/6/2023 2:45 PM Page 20

स्वास्थ्य परीक्षण हेतु बुलाया जाता है। जिसमें उनकी उपस्थिति बहुत ही कम रहती है। किशोर बालिकाओं पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होती है। उनके विकास के लिए पोषण सन्दर्भित स्वास्थ्य शिक्षा तथा कौशल विकास की शिक्षा की आवश्यकता होती है। इस संदर्भ में आँगनबाड़ी में मुख्य सेविका द्वारा बताया गया कि किशोरियों के पोषण व स्वास्थ्य शिक्षा के संदर्भ में सत्र आयोजित किये जाते हैं, जिसमें उनकी शत प्रतिशत उपस्थिति नहीं रहती है। किशोरियों के लिए जनपद नैनीताल सहित सम्पूर्ण उत्तराखण्ड में निम्न योजनाएँ संचालित की जा रही हैं।

नन्दा गौरा देवी कन्याधन योजना

यह योजना उत्तराखण्ड राज्य के तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत द्वारा जनवरी 2018 में प्रारंभ की गयी। इस योजना के तहत लड़कियों को 51,000 हजार रुपये की धनराशि प्रदान की जाती है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य लिंग अनुपात को ठीक करना है। राज्य में अभी भी लड़कों की अपेक्षा लड़कियों की संख्या कम है। इसके अलावा लड़कियों के शोषण को कम करना भी इस योजना का उद्देश्य है। परिवारों की आर्थिक तंगी के कारण लड़कियों की कम उम्र में शादी कर दी जाती है। उन्हें पढ़ने नहीं दिया जाता है। इस योजना के अंतर्गत इण्टरमिडिएट उत्तीर्ण करने के पश्चात लड़की के परिवार को आर्थिक सहायता के रुप में 51,000 हजार रुपये की धन राशि प्रदान की जाती है। इस योजना का लाभ केवल उन्हीं को प्राप्त होता है, जिनके परिवार की वार्षिक आय 6000/– रू. से कम होती है।

गर्भवती महिलाओं की स्वास्थ्य शिक्षा संदर्भित विवरण

इन्हें स्वास्थ्य के संदर्भ में आयरन लेने की सलाह दी जाती है। साथ हीं इन्हें आयरन तथा फालिक एसिड की दवा भी दी जाती है। इन्हें प्रोत्साहित किया जाता है कि टी.टी. के दोनों इन्जेक्शन लगाएं। इन्हें मातृवन्दना योजना के संदर्भ में जानकारी प्रदान की जाती है। साथ ही व्यक्तिगत रुप में मातृ वन्दना का फॉर्म भरवाकर गर्भवती महिला को पहले महीने में 5,000 हजार रुपये की धनराशि दी जाती है। इनके लिए आयोजित बैठकों में इन्हे प्रत्येक 15 दिनों मे अपना वजन मापने की सलाह दी जाती है। साथ ही उन्हें नियमित रुप से अपने वजन की जाँच करवाने के लिए भी प्रेरित किया जाता है। प्रत्येक माह की 5 तारीख को पोषण व वजन दिवस मनाया जाता है। परिवार की प्रथम दो बालिकाओं को जन्म के समय नन्दा गौरा के तहत प्रति बालिका 11,000 हजार रुपये तथा इन्टर मीडिएट के बाद गौरा देवी कन्याधन योजना के तहत 51,000 हजार रुपये दिए जाते हैं।

गर्भवती महिलाओं को प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत इस योजना में पंजीकरण कराने के साथ ही प्रथम किस्त के रुप में 1,000 हजार रुपये दिए जाते हैं। साथ ही प्रसव पूर्व तीसरी जांच होने पर दूसरी किस्त में 2,000 हजार रुपये दिए जाते हैं। बच्चे के जन्म का पंजीकरण प्रथम चक्र का टीकाकरण पूरा होने पर तीसरी किस्त में 2,000 हजार रुपये दिए जाते हैं। इस तरह से प्रधानमंत्री

मातृ वंदना योजना के तहत 5,000 हजार रुपये की धनराशि गर्भवती महिलाओं के बचत खाते में जमा कराई जाती है। यह योजना 1 जनवरी 2017 से लागू की गयी है। इस योजना का उद्देश्य गर्भावस्था, प्रसवपूर्व और स्तनपान के दौरान महिलाओं को जागरुक करना और जच्चा–बच्चा की देखभाल हेतु संस्थागत सेवा प्रदान करना है।

निष्कर्ष

शोधार्थियों ने अपने अध्ययन में पाया कि आंगनबाड़ी वास्तव में गाँव या बस्ती में स्थित बच्चों की देखभाल तथा खेलकूद का एक केन्द्र है, जिसमें समुदाय के स्तर पर छः वर्ष से कम आयु के बच्चों, गर्भवती व स्तनपान वाली महिलाओं तथा किशोरियों को सेवाएँ प्रदान की जाती हैं। विभिन्न वर्ग के लाभार्थियों के अनुसार उनको प्रदान की जाने वाली सेवाओं का विवरण तालिका 2 में दिया गया है।

तालिका 2

लाभार्थी के अनुसार सेवाओं का वर्गीकरण

	लाभार्थी	सेवाएं
1.	6 माह से 3 वर्ष की आयु के बच्चे	अनुपूरक पोषण आहार और विकास की निगरानी, प्रतिरक्षा, स्वास्थ्य जांच, संदर्भ सेवाएं
2.	3 से 6 वर्ष की आयु के बच्चे	अनुपूरक पोषण आहार और विकास की निगरानी, प्रतिरक्षा, स्वास्थ्य जांच, संदर्भ सेवाएं एवं अनौपचारिक स्कूल पूर्व शिक्षा
3.	किशोरी लड़कियां	स्वास्थ्य और पोषण संबंधी शिक्षा
4.	15 से 45 वर्ष की आयु की अन्य महिला	पोषण और स्वास्थ्य शिक्षा

इस प्रकार आँगनबाड़ी में 0 से 3 वर्ष की आयु के बच्चों के विकास, 3 से 6 वर्ष की आयु के बच्चों के शिक्षा व विकास, किशोरी लड़कियों व 15 से 45 वर्ष की आयु की अन्य महिलाओं के स्वास्थ्य और पोषण संबंधी शिक्षा की व्यवस्था की जाती है। यह एक ऐसा स्थान है, जहाँ पर गर्भवती महिलाएं ग्रामीण स्तरीय कार्यकर्ताओं के साथ विचारों का आदान–प्रदान कर सकती हैं। बाल पोषण, पूर्व विद्यालयी शिक्षा तथा बच्चों के टीकाकरण में आँगनबाड़ी का महत्वपूर्ण स्थान है।

संदर्भ

1. डी.डब्ल्यू.ई.सी.डी., वार्षिक रिपोर्ट 2018–19, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार, 2019 दिनांक 20.12.2022 को संग्रहित।
2. डी.डब्ल्यू.ई.सी.डी., वेबसाइट–महिला सशक्तीकरण एवं बाल विकास विभाग, उत्तराखण्ड, 2022, दिनांक 30.11.2022 को संग्रहित।
3. ई–ज्ञानकोष, पूरक आहार कार्यक्रम, स्रोत– https//egyankosh.ac.in दिनांक 31.12.2022 को संग्रहित।
4. एम.डब्ल्यू.सी.डी., नेशनल अरली चाइल्डहुड केयर एण्ड एजूकेशन, करिकुलम फ्रेमवर्क, मिनिस्ट्री आफ वुमेन एण्ड चाइल्ड डेवलपमेन्ट, स्रोत–https://wcd.nic.in दिनांक 30.12.2022 को संग्रहित।
5. सिंह, राकेश कुमार एवं नेहा छेत्री, आँगनबाड़ी कार्यक्रमः एक प्रवेशिका, न्यू एजूकेशन ग्रुप–फाउडेशन फॉर इनोवेसन एवं रिसर्च इन एजूकेशन, 2014।
6. सिंह, कुमार प्रदीप, आँगनबाड़ी योजना का आर्थिक विकास पर प्रभाव का विश्लेषणत्मक अध्ययन, जनपद उत्तरकाशी उत्तराखण्ड विशेष संदर्भ मे, शोधग्रंथ, शोधगंगा /INFLIBNET, दिनांक 14. 1.2023 को संग्रहित।
7. सालवी माया एवं मंजू पाटनी, आँगनबाड़ी केन्द्र की स्वास्थ्य एवं पोषण संबंधित योजनाओं का गर्भवती महिलाओं एवं उनके शिशुओं पर प्रभाव का अध्ययन, जे.ई.टी.आई.आर., वर्ष 6, अंक–5, 2019, स्रोत–www.jetir.org, दिनांक 14.1.2023 को संग्रहित।
8. सूद नीलम, प्लानिंग एंड मेनेजमेंट ऑफ अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन–अ केस स्टडी ऑफ हिमाचल प्रदेश, इन्डिया –नीपा, जनवरी 2003।

○○○○○

सच्चाई में विश्वास

मैं आशावादी हूं, इसलिए नहीं कि मैं इस बात का कोई सबूत दे सकता हूं कि सच्चाई ही फलेगी बल्कि इसलिए कि मेरा इस बात में अदम्य विश्वास है कि अंततः सच्चाई ही फलती है। हमारी प्रेरणा केवल हमारे इसी विश्वास से पैदा हो सकती है कि अंततः सच्चाई की ही जीत होगी। मैं किसी–न–किसी तरह मनुष्य के सर्वोत्कृष्ट गुणों को उभार कर उनका उपयोग करने में कामयाब हो जाता हूं, और इससे ईश्वर तथा मानव प्रकृति में मेरा विश्वास दृढ रहता है।

– महात्मा गांधी

Final PS Jan-Jun'23_feb'11 pror shiksha.qxd 7/6/2023 2:45 PM Page 23

सामुदायिक सहभागिता एवं एंड्रागॉगी : एक सकारात्मक प्रयास

– आलोक कुमार
– राजेश
– राहुल यादव

एंड्रागॉगी शिक्षा एक ऐसी शिक्षा प्रणाली है जो वयस्कों के साथ 'युवा वयस्कों' को भी जीवन प्रसार शिक्षा प्रदान करने का कार्य करती है। यह आयु, लिंग, क्षेत्र आदि से ऊपर उठकर सामुदायिक भागीदारी को बल प्रदान करती है। समुदाय के अन्दर सामाजिक और अनुभावात्मक शिक्षण के साथ स्वनिर्देशित सीखने की प्रणाली को एंड्रागॉगी की संज्ञा दी गई है। नई शिक्षा नीति 2020 चाहती है कि शिक्षार्थी एंड्रागॉगी शिक्षा के माध्यम से सीखने के साथ ही साथ स्व–मूल्यांकन तथा तार्किक विकास पर भी ध्यान केन्द्रित करें। वयस्कों के पास अनुभव की कमी नहीं होने के कारण उनका ध्यान स्वाभाविक ही समस्या तथा समाधान चर्चा पर अत्यधिक केन्द्रित होता है। सामुदायिक भागीदारी को केन्द्र में रख कर विकसित की गई पाठ्यचर्चा में जीवन के इर्द–गिर्द अतिरिक्त अनुप्रयोगों का समावेश होता है। इस प्रकार की पाठ्यचर्चा समुदाय की समस्याओं को हल करने के साथ आंतरिक प्रेरणा तथा आत्मविश्वास को बढ़ाने की बात करता है।

नई शिक्षा नीति 2020 प्रौढ़ शिक्षा के नवीन आयामों को जीवन्त करने का कार्य कर रही है। भारत में जहाँ 67% जनसंख्या 15–16 वर्ष के युवाओं की है नयी शिक्षा नीति उनको आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक तथा सांस्कृतिक रूप से मजबूती प्रदान करने का कार्य करेगी। युवा प्रौढ़ों को अत्यधिक लाभ प्रदान करने के उद्देश्य से यह शिक्षा नीति उन्हें ऑफलाइन तथा ऑनलाइन माध्यम से डिजिटल, व्यावसायिक तथा जीवन प्रयत्न शिक्षा प्रदान करने पर अत्यधिक बल दे रही है। सामुदायिक भागीदारी के माध्यम से प्रयुक्त एंड्रागॉगी शिक्षा प्रौढ़ लोगों के साथ ही साथ युवा प्रौढ़ों को भी जीवनपर्यन्त सीखने में मदद प्रदान करेगी। एंड्रागॉगी शिक्षा व्यवस्था को जमीनी स्तर पर लागू करने की आवश्यकता है ताकि इसके अन्दर की कमियों को दूर किया जा सके।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 अब लागू हो गयी है। यह इक्कीसवीं सदी में लाए जाने वाली पहली शिक्षा नीति होगी जिसे आमूलचूल परिवर्तनों के लिए विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में लागू किए जाने की कोशिश की जा रही है जो उच्च शिक्षा एवं शोध की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण साबित होगी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत इस वर्ष से 3 साल की जगह 4 साल का स्नातक पाठ्यक्रम

लागू किया जा रहा है जिसमें मुख्य विषयों के साथ–साथ कौशल शिक्षा, योग्यता विकास एवं जीवन कौशल के प्रयासों को भी जोड़ा जाएगा।

क्या आपने कभी सोचा है कि महाविद्यालय के प्रथम वर्ष में प्रवेश करने वाले छात्र या छात्राएं कौन हैं? शोध के आधार पर विश्लेषण करें तो हम पाते हैं कि महाविद्यालय में प्रवेश करने वाले युवा–प्रौढ़ कम–से–कम 17 वर्ष के छात्र या छात्रा हैं। 17 वर्ष के उस छात्र या छात्रा को आप सामान्य बच्चों की तरह नहीं पढ़ा सकते हैं। ये युवा प्रौढ़ हैं जो अब बाल्यकाल से आगे बढ़ प्रौढ़ अवस्था की शुरूआत करने जा रहे हैं। "यूथ इन इण्डिया 2022" रिपोर्ट के अनुसार 2021 तक भारत की आबादी 136 करोड़ बतायी गयी है। इसमें से संयुक्त राष्ट्र के अनुसार 27.3% यानि 37.14 करोड़ आबादी युवाओं की है। यह भी गौर करने लायक है कि आज के युवा–पौढ़ के पास तकनीकी तथा सूचना के आधुनिक साधन उपलब्ध हैं और शिक्षण के लिए वे केवल शिक्षकों पर निर्भर नहीं हैं।

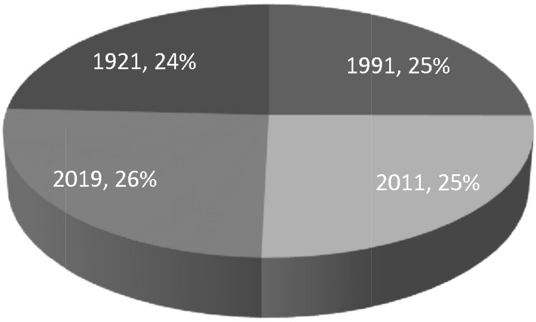

यूथ इन इण्डिया 2022

स्पष्ट है कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार युवकों यानि 17 वर्ष या उससे ज्यादा उम्र के युवाओं को महाविद्यालय में एंड्रोगॉगिकल माध्यमों से पढ़ाया जा सकता है क्योंकि वे स्वयं के आधार पर चलने वाले युवा–प्रौढ़ हैं। उन्हें बच्चों की शिक्षा प्रणाली के आधार पर पढ़ाया जाना किसी भी प्रकार से तर्क संगत नहीं दिखता। इस सम्बन्ध में मैल्कम नोल्स की विधि को लागू करना होगा जिससे कि वे पढ़ाई में रूचि ले सकें। यह विधि आत्म निर्देशन में सीखने तथा अपनी रूचि के अनुसार शिक्षा या कौशल ग्रहण करने की वकालत करता है।

उपरोक्त ग्राफ यह दर्शाता है कि 15 से 59 वर्ष के कामकाजी वर्ग के लोग देश के सभी कार्यों, प्रमुखतः आर्थिक क्षेत्रों में अपना पूर्ण योगदान देते हैं। निश्चित ही इन्हें हम युवा आबादी मान सकते हैं जिनके पास स्मार्ट मोबाइल फोन उपलब्ध है। वे इनका उपयोग नई शिक्षा नीति 2020 के तहत ऑनलाइन क्लास लेने में कर सकते हैं। ऑनलाइन माध्यम शिक्षा प्रदान करने का सबसे सस्ता एवं सरल तरीका है जिसमें एक साथ लाखों – करोड़ों प्रौढ़ युवाओं को शिक्षा प्रदान की जा सकती है।

इससे न केवल पैसे की बचत होगी बल्कि राष्ट्र के संसाधनों तथा पर्यावरण को भी लाभ मिलेगा। इस क्रम में युवा प्रौढ़ अपने कैरियर संबंधित निर्णय लेने की योग्यता भी प्राप्त कर लेते हैं। एक 17 वर्ष का युवा प्रौढ़ महाविद्यालयों में प्रवेश करते समय अनिर्णय की स्थित में होता है। वह यह भी नहीं तय कर पाता कि कौन सा विषय चयन करें कौन सा नहीं? तब यहाँ शिक्षक की भूमिका मार्गदर्शक की हो जाती है। शिक्षक मुख्य रूप से युवा प्रौढ़ के अन्दर की प्रतिभा के आधार पर मार्गदर्शन तथा मानसिक उत्साह बढ़ाने का कार्य करते हैं जिससे युवा प्रौढ़ अपने कौशल तथा रुचि के आधार पर सही विषय का चुनाव कर सकें। वर्तमान पीढ़ी इसी प्रकार की समस्याओं से जूझ रही है। नई शिक्षा नीति शिक्षा के साथ कौशल विकास का मौका प्रदान कर इन्हीं समस्याओं को दूर करने का कार्य कर रही है।

नई शिक्षा नीति यह दर्शाती है कि विश्व तथा भारत में हुए तमाम शोध कार्य यह स्पष्ट करते हैं कि प्रौढ़ शिक्षा से ही राजनीतिक इच्छाशक्ति, संगठनात्मक संरचना, उचित योजना, पर्याप्त वित्तीय सहायता, गुणवत्ता संवर्धन के साथ–साथ स्वयंसेवा और सामुदायिक भागीदारी का विकास हुआ है। प्रौढ़ शिक्षा के माध्यम से समाज के अन्दर वयस्कजनों की साक्षरता में वृद्धि देखने को मिली है तथा इससे समुदाय में बच्चों के अन्दर शिक्षा की माँग में तेजी से बढ़ोतरी हुई है। शोध कार्य स्पष्ट करते हैं कि प्रौढ़ शिक्षा सामाजिक भागीदारी को मजबूती प्रदान करने का कार्य करती है। इससे समाज में नवाचार तथा प्रौद्योगिकी का भी विकास होता है।

सामाजिक सहभागिता एवं मैल्कम नोल्स का एंड्रोगॉगी सिद्धान्त

मैल्कम नोल्स ने एंड्रागॉगी का अर्थ अग्रणी पुरुष या अग्रणी बच्चा बताया है। यह 'अध्यापन' जैसे शिक्षा क्षेत्र से भिन्न है। इस शब्द का तात्पर्य सामुदायिक सहभागिता को उच्च स्तर पर ले जाना है। शिक्षा का यह शास्त्र अपने छः स्तम्भों पर टिका हुआ हैः

- **जानने की आवश्यकताः** वयस्कों के लिए कुछ भी लिखने के पहले यह जानना अति आवश्यक है कि वे क्या, क्यों और कैसे जानना चाहेंगे।
- **नींव** : जीवनपर्यन्त शिक्षा अनुभव को आधार मान कर सीखने की मजबूत नींव प्रदान करता है।
- **स्वतः अवधारणाः** वयस्क सीखने का निर्णय भी स्वयं लेते हैं। यहां शिक्षक की भूमिका सिर्फ एक मार्गदर्शक की होती है। वे अपने निर्णयों की पृष्ठभूमि तथा क्रियान्वयन के प्रकार को योजनाबद्ध तरीके से विकसित करते हैं। वे योजना तथा मूल्यांकन जैसे कार्यों में सक्रिय भागीदारी करते हैं।
- **तत्परताः** यह व्यस्कों के अन्दर सबसे उपयोगी तथा लाभकारी बिन्दु होता है जो उन्हें तत्काल सीखने के लिए प्रेरित करता है। रुचिकर विषयों को व्यस्क प्रासंगिकता के साथ सीखते हैं और ऐसा करने में उन्हें अत्यधिक आनन्द का अनुभव होता है।

- **अभिविन्यासः** यह स्तम्भ मुख्य रूप से समस्या केन्द्रित प्रणाली को बल प्रदान करने का कार्य करती है। वयस्क अपनी समस्याओं को केन्द्र में रख कर जीवनपर्यन्त सीखने का प्रयत्न करते हैं क्योंकि जीवन में कोई भी समस्या एक सी नहीं होती। यह समय–समय पर उत्पन्न होती रहती हैं।
- **प्रेरणाः** वयस्क अपने आपको स्वंभू आन्तरिक तथा बाह्य रूप से प्रेरित करने का कार्य करते हैं। चूँकि वयस्क इस स्तर पर पहुँच चुके होते हैं कि उन्हें अपने अन्दर की ऊर्जा का विकास कर स्वयं को उत्साहित करने वाले तत्वों को किस प्रकार से प्रेरित किया जाए इसकी जानकारी होती है।

शिक्षा नीति 2020 एंड्रागॉगी शिक्षा की तार्किकता से ज्ञान को समझने, संश्लेषित तथा व्याख्या करने पर बल प्रदान करती है। यह एंड्रागॉगी शिक्षा के माध्यम से शिक्षा के क्षेत्र में कौशल विकास के साथ वैज्ञानिक दृष्टिकोण की अवधारणा का भी विकास कर रही है।

एक ओर यह युवा वयस्कों को विभिन्न शैक्षणिक कार्यक्रमों के माध्यम से अकादमिक अनुशासन प्रदान करने का कार्य प्रदान कर रही है तथा उनके अन्दर शैक्षणिक एवं ऐतिहासिक विश्लेषण की प्रवृत्ति विकसित करने पर बल दे रही है ताकि युवा वयस्कों के अन्दर सीखने की प्रक्रिया की अभिव्यक्ति की क्षमता का विकास संभव हो सके। दूसरी ओर यह ऑनलाइन शिक्षा के माध्यम से युवा प्रौढ़ के अन्दर आत्म–निर्देशित शिक्षण को बढ़ावा दे रही है ताकि कोविड–19 के बाद ऑनलाइन शिक्षा के बढ़ते महत्व का सदुपयोग किया जा सके। यह युवा प्रौढों को शिक्षा प्रणाली में समस्या समाधान के लिए डिजाइन तैयार कर सभी समस्याओं के समाधान के लिए प्रेरित करती है। नई शिक्षा नीति 2020 कौशल आधारित अभ्यास को प्रमुखता प्रदान करती है। 'मन की बात' कार्यक्रम के माध्यम से प्रधानमंत्री द्वारा भारत के वयस्कों का समय–समय पर उत्साहवर्धन किया जाना इसका प्रज्वलित उदाहरण है।

वहीं सिक्के के दूसरे पहलू के रूप में हैन्सन ने कहा है कि सीखने की कोई उम्र नहीं होती है। यह व्यक्ति के अन्दर विशिष्ट विशेषताओं के ऊपर निर्भर करता है। पूर्ण स्वतंत्रता के साथ शिक्षा ग्रहण करने की प्रवृत्ति निरन्तर चलती रहती है। आत्म–अवधारणा से प्रेरित होकर प्रशिक्षण के माध्यम से कुशलता का विकास किया जाता है। इस प्रकार वयस्क शिक्षार्थी पाठ्यक्रम से ऊपर उठकर सीखने की प्रवृत्तियों का विकास करते हैं। प्रशिक्षण की प्रवृत्ति से ज्ञात होता है कि वयस्क स्व–निर्देशित होकर जीवनपर्यन्त सीखने का कार्य करते हैं।

साहित्यिक अवलोकनः नरेन्द्र सिंह ने अपने लघु लेख में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को समावेशी शिक्षा के माध्यम से भारत की अर्थव्यवस्था तथा तकनीकी क्षेत्र का विकास करते हुए 21वीं सदी में भारत को विश्वगुरु बनाने का प्रयास माना है। इस नीति के द्वारा अपनायी गई 5+3+3+4 की प्रणाली मानवीय और धरातलीय स्तर पर हमारे समाज के अन्दर सामाजिक समावेशन कर सकारात्मक विकास को प्रतिपादित करती है। भारतीय समाज में नई शिक्षा नीति 2020 किसी क्रांति

से कम नहीं है। प्रतिभा यादव मुख्य रूप से इंगित करती हैं कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 राष्ट्र के भविष्य में परिवर्तनों तथा चुनौतियों को ध्यान में रख समानता के भाव को विकसित करने का प्रयास करती है। यह राष्ट्र के अन्दर उच्च शिक्षा में उतरोतर परिवर्तनों हेतु पूर्ण रूप से प्रतिबद्ध है जो भारतीय समाज के अन्दर गुणवत्ता, नवाचार, प्रौद्योगिकी तथा शिक्षा में समन्वयन स्थापित करती है। आशुतोष मोतीभाई परमार के लेख राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में भाषा संबंधी चिंताओं को स्पष्ट करते हैं। भारतीय भाषाओं के शिक्षण और अधिगम को स्कूल तथा उच्च शिक्षा के स्तर तक एकीकृत करने की आवश्यकता है। भाषाओं को जीवंत रखने के लिए उच्च शिक्षा के क्षेत्र में संविधान के 8वीं अनुसूची में वर्णित सभी भाषाओं में सामग्री उपलब्ध होनी चाहिए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के माध्यम से हिन्दी एवं संस्कृत के साथ ही विदेशी भाषाओं का भी प्रभाव देखने को मिलेगा। योगेन्द्र सिंह ने वैश्विक परिप्रेक्ष्य में भारतीय भाषाएं, हिन्दी और नई शिक्षा नीति नामक लेख के माध्यम से यह स्पष्ट करने का प्रयास किया है कि किस प्रकार से नई शिक्षा नीति 2020 ने प्राचीन भारतीय भाषाओं के लिए जीवनदायनी कार्य किया है। भारतीय संस्कृति को वैश्विक स्तर तक पहुँचाने के लिए नई शिक्षा नीति 2020 एक प्रमुख संसाधन के रूप में उभरेगी। डॉ. डोटी लाल के शोध लेख ने नई शिक्षा नीति 2019 के प्रारूप पर संक्षिप्त चर्चा की है। समुदाय के प्रतिष्ठित व्यक्तियों के अनुभव तथा विद्यार्थियों को विद्यालय में पढ़ाए जाने वाले विषय दैनिक जीवन की वास्तविक समस्याओं से संबंध स्थापित करने में सहायक सिद्ध हो सकते हैं। उन्होंने एक समुदाय के अन्तर्गत कोई व्यक्ति किस प्रकार से अपनी भागीदारी शिक्षा के क्षेत्र में सुनिश्चित कर सकता है इसे स्पष्ट करने का कार्य किया है। लखन सिंह कुशरे ने यह रेखांकित करने का कार्य किया है कि उच्च शिक्षा के क्षेत्र में ग्रामीण क्षेत्रों में विद्यमान चुनौतियों को दूर करने में नई शिक्षा नीति 2020 किस प्रकार कारगर सिद्ध होगी। उन्होंने बताया है कि मूलभूत सुविधाओं से कोसों दूर ग्रामीण क्षेत्रों में उच्च शिक्षा की राह में कई कांटे हैं जिन्हें योजनाबद्ध तरीके से दूर किया जा सकता है।

किरण ग्रोवर का लघु लेख मुख्य रूप से राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में स्वामी विवेकानंद की भूमिका को स्पष्ट करता है। उनकी मान्यताएं मनुष्य के शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, नैतिक, सामयिक, बौद्धिक, सौंदर्यात्मक, भौगोलिक, सांस्कृतिक, चारित्रिक, भावात्मक विकास, आध्यात्मिक आनन्द, स्वतंत्र विचार शक्ति, निर्णय लेने की शक्ति, समतामूलक और समावेशी समाज तथा वैश्विक नागरिक के संबंध में आगामी पीढ़ी का मार्ग दर्शन करेंगी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की मान्यताएं आगामी पीढ़ी का मार्ग दर्शन करेंगी। हमारे बच्चे शक्तिमान, सहानुभूति वाले, साहसी बनकर देश में सर्वत्र उद्धार, सहायता, सामाजिक उत्थान तथा समानता के संदेश का प्रचार कर सकेंगे।

शोध कार्यप्रणाली: अन्तरर्राष्ट्रीय स्तर पर विख्यात प्रोफेसर एस. वाई. शाह ने विभिन्न पुस्तकों के माध्यम से ऐतिहासिक तथा सामाजिक पहलुओं पर अपने गहन विचार प्रस्तुत किये हैं। वहीं प्रोफेसर राजेश ने नई शिक्षा नीति के तहत युवा प्रौढ़ों को सभी विषय एंड्रागागी के माध्यम से पढ़ाने की एक

नयी पहल की है तथा दिल्ली विश्वविद्यालय के इस पहल से पूरे देश के शिक्षकों को जोड़ने का अनूठा प्रयास प्रारम्भ किया है जो शोध कार्य प्रणाली को आधार प्रदान करते हैं।

डेटा का विश्लेषण

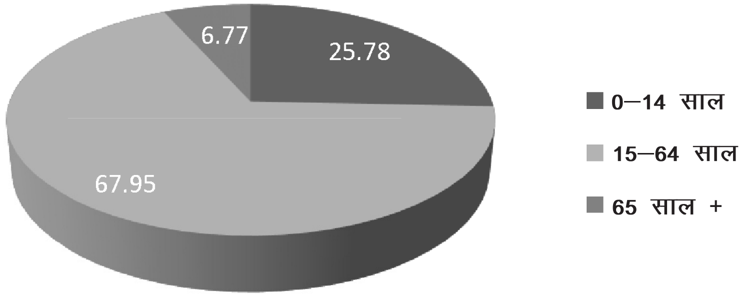

सांख्यिकीय विभाग भारत सरकार 2021

उपरोक्त लेखा चित्र से स्पष्ट होता है कि भारत की जनसंख्या का 67.45 प्रतिशत 15 से 64 आयु वर्ग के व्यक्तियों का है जो अन्य सभी आयु वर्गों में सर्वाधिक है। नई शिक्षा नीति 2020 के तहत इन्हें पूर्ण रूप से साक्षर करने की अनेकों योजनाएं एवं कार्यक्रम निर्धारित की गयी हैं। यदि यह जनसंख्या साक्षर हो जाती है तो वह भारत जैसे विशाल राष्ट्र को विश्व के आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक मंचों पर प्रतिष्ठित करने का कार्य करेगी। यह ध्यान देने योग्य है कि 15 से 18 वर्ष के बीच की आयु युवा प्रौढों की है जिन्हें डिजिटल एवं व्यावसायिक साक्षरता जैसे नवीनतम आयामों से जोड़ने की आवश्यकता है। नई शिक्षा नीति डिजिटल साक्षरता के माध्यम से युवा वयस्कों को कौशल शिक्षा तथा व्यावसायिक शिक्षा प्रदान करने पर अत्यधिक बल देती है।

नई शिक्षा नीति 2020 में प्रौढ़ शिक्षा के अन्तर्गत ग्रामीण स्तर पर संख्यात्मक, बुनियादी शिक्षण, व्यावसायिक कौशल प्रशिक्षण हेतु विभिन्न कार्यक्रमों का क्रियान्वयन किया जाएगा। सत्त् शिक्षा के तहत विज्ञान, कला, मनोरंजन के साथ–साथ स्थानीय कौशल के विकास पर विशेष बल दिया जाएगा। इससे स्थानीय कौशल को जीवनदान मिलेगा। कुछ मामलों में वयस्कों के लिए बच्चों के शिक्षण पद्धति के तरीकों का भी उपयोग किया जाएगा। नई शिक्षा नीति 2020 वयस्कों को बुनियादी ढांचा के अन्तर्गत अन्य सुविधाएं भी प्रदान करेगी। वयस्कों के लिए पुस्तकालयों के साथ–साथ आईसीटी की सुविधा सुनिश्चित की गयी है तथा सामुदायिक भागीदारी पर विशेष बल दिया गया है। उच्च शिक्षण संस्थानों तथा व्यावसायिक प्रशिक्षण के केन्द्रों के अन्दर भी वयस्क शिक्षा केन्द्रों को सम्मिलित किया गया है। सामुदायिक भागीदारी प्रौढ़ शिक्षा में प्रबल हो इसके लिए अथक प्रयास

करने का कार्य किया जाएगा। इसके अन्तर्गत सरकारी तथा सामुदायिक कार्यकर्ता समुदाय के अन्दर जाकर यह चिन्हित करने का प्रयास करेंगे कि कौन–कौन से व्यक्ति शिक्षा से वंचित रह गये हैं तथा वे उन्हें प्रौढ़ शिक्षा के अन्तर्गत शिक्षा प्रदान करने की कोशिश करेंगे। सरकारी तथा गैर–सरकारी संगठनों के माध्यम से प्रौढ़ शिक्षा का प्रचार–प्रसार किया जाएगा। नई शिक्षा नीति यह सुनिश्चित करती है कि विद्यालयों, महाविद्यालयों तथा विश्वविद्यालयों को ऐसे पुस्तकों की उपलब्धता सुनिश्चित कराए जो शिक्षार्थियों के लिए रुचिकर हो। राज्य एवं केन्द्र सरकार विभिन्न माध्यमों से दूर दराज के आर्थिक रूप से कमजोर विद्यार्थियों को पुस्तकों तक पहुँचने की व्यवस्था करेगी। ऑनलाइन पुस्तकालय के माध्यम से सभी वयस्कों तक ज्ञान का विस्तार बहुत ही असानी से तथा कम आर्थिक खर्च के माध्यम से किया जाएगा। भारतीय क्षेत्रीय भाषाओं के अन्तर्गत सभी क्षेत्रीय भाषाओं में रुचिकर पुस्तकों की व्यवस्था तथा उनके रख–रखाव के लिए कर्मचारियों की व्यवस्था की जाएगी।

उपर्युक्त कार्य तभी संभव हो सकते हैं जब प्रौद्योगिकी की एक मजबूत प्रणाली स्थापित हो। प्रौढ़ शिक्षा की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए ऑनलाइन कोर्स मॉड्यूल, उपग्रह आधारित टीवी चैनल, आईसीटी सुसज्जित पुस्तकालयों की भी व्यवस्था की गयी है। कई मामलों में ऑनलाइन तथा मिश्रित रूप से भी शिक्षा प्रदान की जा सकती है।

सुझाव : भारत की 67 प्रतिशत जनसंख्या 15–65 आयु वर्ग के बीच है और इनमें से अत्यधिक कामकाजी जनसंख्या है जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार कार्य से जुड़े हुए हैं। अतः वर्तमान समय में इन्हें ऑनलाइन शिक्षा के माध्यम से जोड़ने की अति आवश्यकता है जिसके लिए निम्नलिखित सुझाव उपयोगी सिद्ध हो सकते हैं –

- सामुदायिक सहभागिता के माध्यम से वयस्क शिक्षा प्रदान करने के लिए सामुदायिक स्तर पर शिक्षण सामग्री और इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड इत्यादि की व्यवस्था करने की आवश्यकता है ताकि 64 प्रतिशत ग्रामीण जनसंख्या को लाभ मिल सके।
- एंड्रागागी को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकारों तथा केन्द्र सरकार द्वारा विज्ञापनों पर बल़ देने की जरूरत है।
- सरकारी तथा गैर सरकारी संगठनों के कार्यकर्त्ताओं को जमीनी स्तर पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है।
- एंड्रागॉगी शिक्षा के अन्तर्गत कौशल तथा व्यवसायिक शिक्षा हेतु प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना करनी होगी।
- वयस्कों में यह समझदारी उत्पन्न करनी होगी कि समुदाय के विकास के माध्यम से ही उनका विकास संभव हो सकता है।
- ग्रामीण जनसंख्या के लिए जमीनी स्तर पर संसाधनों को पहुँचाना होगा। पुरुषों तथा महिलाओं के साथ–साथ ट्रांसजेंडरों के अन्दर भी शिक्षा के महत्त्व को उजागर करने की आवश्यकता है।

- महाविद्यालयों, विश्वविद्यालयों में वयस्क शिक्षा से संबंधित विभागों की स्थापना करने की आवश्यकता है।
- प्रत्येक जिला, प्रखण्ड स्तर पर वयस्क तथा सत्त शिक्षा से संबंधित विभागों को सक्रिय रूप से कार्य करने की आवश्यकता है।
- एंड्रागॉगी शिक्षा के तहत वयस्कों के साथ–साथ युवा वयस्कों जिनकी आयु 17 वर्ष के आसपास है को रखने की जरूरत है।
- विद्यालयों तथा महाविद्यालयों में प्रमुख रूप से युवा प्रौढ़ों की सामाजिक भागीदारी से संबंधित पाठ्यक्रमों का विकास करना आवश्यक है ताकि वे सामाज में अपना महत्त्व समझ सकें।

निष्कर्ष

शिक्षा किसी भी आयु, समय तथा क्षेत्र के दायरे में सीमित नहीं रह सकती। यह सार्वभौमिक तथा सर्वव्यापक है। एंड्रागॉगी शिक्षा वयस्कों के साथ–साथ युवा वयस्कों को भी शिक्षित करने का कार्य करती है क्योंकि वर्तमान में भारत के केन्द्रीय तथा राज्य स्तरीय विद्यालयों, महाविद्यालयों तथा विश्वविद्यालय इस शिक्षा व्यवस्था को पाठ्यक्रम में प्रमुखता से जगह प्रदान कर रही हैं। जिस प्रकार से डिजिटल युग का प्रचार–प्रसार हो रहा है वहाँ सभी विद्यालयों, महाविद्यालयों तथा विश्वविद्यालयों में डिजिटल बोर्ड तथा नई प्रौद्योगिकी संसाधनों के माध्यम से एंड्रागॉगी शिक्षा व्यवस्था हमारे समाज में सामुदायिक भागीदारी बढ़ाने का कार्य कर रही है। भविष्य में युवा वयस्कों की भूमिका को देखते हुए शिक्षक का मुख्य कार्य कोच, मेंटोर या सलाहकार का हो सकता है। सामुदायिक भागीदारी के लिए समाज के अन्दर एंड्रागॉगी शिक्षा प्रणाली वर्तमान में सिर्फ बोर्ड तक ही सीमित नहीं है बल्कि इनका क्षेत्र विस्तृत हो रहा है और डिजिटल साक्षरता, व्यावसायिक साक्षरता, कौशल तथा रोजगारपरख साक्षरता पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। सरकारी तथा गैर–सरकारी संस्थाएं विभिन्न कार्यक्रमों तथा योजनाओं के माध्यम से जमीनी स्तर पर एंड्रागॉगी के माध्यम से सामुदायिक भागीदारी को मजबूत बना रही हैं। वे अपने कार्य को कुशल तथा सक्षम बनाने के लिए एंड्रागॉजी शिक्षा की व्यवस्था लगभग सभी सरकारी संस्थाओं में स्थापित करने का प्रयास कर रही है ताकि सामुदायिक भागीदारी को बल मिले। इसका सबसे सकारात्मक परिणाम यह निकल कर आ रहा है कि समुदाय के अन्दर कौशल विकास, महिला सशक्तीकरण, आर्थिक उत्थान आदि का विकास हो रहा है।

ग्रामीण पृष्ठभूमि के लोग एंड्रागॉगी शिक्षा से ज्यादा लाभान्वित हो रहे हैं। वे कृषि तथा मजदूरी के क्षेत्र में जीवन प्रसार शिक्षा के महत्व को समझ रहे हैं। नवाचार के माध्यम से एंड्रागॉगी स्वास्थ्य शिक्षा, राजनीतिक शिक्षा, सभ्यता एवं संस्कृति शिक्षा भी प्रदान करती है।

संदर्भ

1. नई शिक्षा नीति (2020), मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार।
2. गोयनका, कमल किशोर, प्रवासी साहित्य, भाग–1, 2, 3, यश प्रकाशन, नई दिल्ली, 2021।

Final PS Jan-Jun'23_feb'11 pror shiksha.qxd 7/6/2023 2:45 PM Page 31

3. दूबे अमित कुमार, व्यक्तित्व–संवर्द्धन और शैक्षिक नीति, वाणी प्रकाशन, नई दिल्ली, 2022, पृ. 3–4।
4. सिंह योगेन्द्र, वैश्विक परिप्रेक्ष्य में भारतीय भाषाएँ, हिंदी और नई शिक्षा नीति, वैश्विक हिन्दी परिदृश्य, अनंग प्रकाशन, दिल्ली, 2022, पृ. 1–3।
5. पाल डॉ. नरेन्द्र कुमार, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के परिप्रेक्ष्य : भविष्य एवं चुनौतियाँ, राजकमल प्रकाशन, दिल्ली, 2012, पृ. 1–7।
6. उपाध्याय सुश्री पिंकी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, शिक्षा क्षेत्र में सकारात्मक परिवर्तन, राधाकृष्ण प्रकाशन, दिल्ली, 2021, पृ. 8–17।
7. कुमार डॉ. अंगद, मातृभाषा की नई शिक्षा यात्रा, लोकभारती प्रकाशन, इलाहाबाद, 2011, पृ. 5–10।
8. डॉ. राजहंस, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का भाषाई संदर्भ, नेशनल पब्लिशिंग हाउस, मेरठ, 2021, पृ. 4–10।
9. सिंह डॉ. महावीर, राष्ट्रीय शिक्षा नीति और शैक्षणिक नवाचार, साहित्य केन्द्र प्रकाशन, दिल्ली, 2015, पृ. 5–9।
10. त्रिपाठी डॉ. कन्हैया, नई शिक्षा नीति और शिक्षकों की भूमिका, माधव प्रकाशन, इलाहाबाद, 2022, पृ. 20–25।

❍❍❍❍❍

सत्य की नीति

मैं 'संत' के वेश में राजनेता नहीं हूं। लेकिन चूंकि सत्य सर्वोच्च बुद्धिमत्ता है इसलिए कभी–कभी मेरे कार्य किसी शीर्षस्थ राजनेता के से प्रतीत होते हैं। मैं समझता हूं कि सत्य और अहिंसा की नीति के अलावा मेरी कोई और नीति नहीं है। मैं अपने देश या अपने धर्म तक के उद्धार के लिए सत्य और अहिंसा की बलि नहीं दूगां। वैसे, इनकी बलि देकर देश या धर्म का उद्धार किया भी नहीं जा सकता। मैं अपने जीवन में न कोई अंतर्विरोध पाता हूं, न कोई पागलपन। यह सही है कि जिस तरह आदमी अपनी पीठ नहीं देख सकता उसी तरह उसे अपनी त्रुटियां या अपना पागलपन भी दिखाई नहीं देता। लेकिन मनीषियों ने धार्मिक व्यक्ति को प्रायः पागल जैसा ही माना है। इसलिए में इस विश्वास को गले लगाए हूं कि मैं पागल नहीं हूं बल्कि सच्चे अर्थों में धार्मिक हूं। मैं वस्तुतः इन दोनों में से क्या हूं, इसका निर्णय मेरी मृत्यु के बाद ही हो सकेगा।

मुझे लगता है कि मैं अहिंसा की अपेक्षा सत्य के आदर्श को ज़्यादा अच्छी तरह समझता हूं और मेरा अनुभव मुझे बताता है कि अगर मैंने सत्य पर अपनी पकड़ ढ़ीली कर दी तो मैं अहिंसा की पहेली को कभी नहीं सुलझा पाऊंगा....दूसरे शब्दों में, सीधे ही अंहिसा का मार्ग अपनाने का साहस शायद मुझमें नहीं है। सत्य और अहिंसा तत्वतः एक ही हैं और संदेह अनिवार्यतः आस्था की कमी या कमजोरी का ही परिणाम होता है। इसीलिए तो मैं रात–दिन यही प्रार्थना करता हूं कि 'प्रभू' मुझे आस्था दे। मेरा मानना है कि बचपन से ही सत्य का पक्षधर रहा हूं। यह मेरे लिए बड़ा स्वाभाविक था। मेरी प्रार्थनामय खोज ने 'ईश्वर सत्य है' के सामान्य सूत्र के स्थान पर मुझे एक प्रकाशमान सूत्र दियाः 'सत्य ही ईश्वर हैं'। यह सूत्र एक तरह से मुझे ईश्वर के रु–ब–रु खड़ा कर देता है। मैं अपनी सत्ता के कण – कण में ईश्वर को व्याप्त अनुभव करता हूं।

–महात्मा गांधी

मद्यनिषेध एवं महिला सशक्तीकरण

— अर्चना सौशिल्या

16 फरवरी 2020 को दिल्ली के इस्कान ऑडीटोरियम में आयोजित हुए 'शराबमुक्त भारतः राष्ट्रीय अभियान में बिहार के तत्कालीन मुख्यमंत्री ने शराबबंदी में बिहार को अग्रणी होने का नाम देकर राष्ट्रीय अभियान का आह्वान किया। निःसंदेह शराब मुक्त समाज, धार्मिक एवं सामाजिक दृष्टिकोण से आज सबकी जरूरत बन चुकी है। सन् 2018 में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने अपनी रिपोर्ट में शराब से होने वाली सामाजिक विसंगतियों की चर्चा के दौरान कहा कि शराब से मरने वालों का प्रतिशत पूरी मृत्युदर का 5.3 है और इसमें वृद्ध लोगों की तुलना में जवानों की संख्या ज्यादा है। शराब से मरने वाले युवाओं में 20 से 29 वर्ष आयुवर्ग वालों की संख्या 13.5 प्रतिशत है।

विश्व के इतिहास में शायद 21 जनवरी 2017 वह पहला दिन था जब बिहार में 3 करोड़ से ज्यादा लोगों ने 11,000 किलोमीटर लंबा मानव श्रृंखला बनाकर नशामुक्त मद्यनिषेध बिहार बनाने का अभियान प्रारंभ किया। बिहार की महिलाओं ने यह सराहनीय कदम उठाकर अपने महिला सशक्तीकरण का परिचय दिया। परिणाम यह हुआ कि राज्य में शराब विक्रय बंद करनी पड़ी। निःसंदेह इस प्रयास में महिला विकास निगम, समाज कल्याण विभाग, तकनीकि सहयोगी डेवलपमेंट मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट, पटना सभी का महत्वपूर्ण योगदान रहा।

बिहार राज्य, भारत का चौथा राज्य है जहाँ पूर्ण मद्यनिषेध की घोषणा की गई। इसके पहले गुजरात, नागालैंड तथा लक्ष्यद्वीप में इसका शुभारंभ हो चुका था। आज बिहार की महिलाएं माननीय मुख्यमंत्री का आभार प्रकट करती हैं, जिन्होंने उन्हें सम्मान व शांति से जीने का रास्ता दिखलाया। देश में उभरती महिलाओं की यह आवाज, राज्यों के राजस्व पर भी भारी पड़ी है, क्योंकि महिला संबंधित अहिंसक नीतियों ने राज्यों के सामाजिक नीतियों का भी रूख मोड़ दिया है। शराब की बिक्री से होने वाले राजस्व का हरजाना, बिहार सरकार को भी झेलना पड़ा, जो दिल्ली जैसे विकसित राज्य के सामने कुछ भी नहीं है। परंतु इस कदम को विकसित राज्यों ने कभी सोचा भी नहीं है। यह गौर करने लायक है कि महिला सशक्तीकरण की इच्छाशक्ति रखने वाले सामाजिक उत्थान के प्रति प्रतिबद्ध नेताओं व राज्यों ने तमाम अड़चनों के बाद भी इस कदम को उठाने की हिम्मत जुटाई। राज्य के समूचे तंत्र, पुलिस, राजस्व विभाग, नशा विमुक्ति केन्द्र, अस्तपाल, न्यायलय, नागरिक व महिला संगठनों ने सरकार के इस कानून को लागू करने के लिए कमर कस ली।

इस निर्णय का समूचे देश में व्यापक प्रभाव देखने को मिला। दिल्ली में मिलित ओडिशा निशा निवारण अभियान (MONA) द्वारा आयोजित एक सम्मेलन में बिहार के मुख्य मंत्री ने पूरे भारत में शराब बंदी लागू करने की अपील की। कार्यक्रम की सफलता को देखते हुए आगे चलकर अनेक राज्यों की स्टडी

टीम ने बिहार का दौरा किया। कर्नाटक से 2017 में, छतीसगढ़ से 2018 में और राजस्थान से 2019 में अध्ययन टीम बिहार गई और कार्यक्रम की सफलता का मापदंड भी बनाया। इस मद्यनिषेध के साकारात्मक परिणामों ने निःसंदेह शराब के व्यापार में लगे व्यापरियों तथा माफिया लोगों में अफरातफरी मचा दी, महानगरों में तथा अन्य राज्यों में एक असुरक्षित वातावरण बनने लगा और बिहार में शराब बंदी की तीखी आलोचना भी होने लगी।

इस समूचे प्रकरण में कई महत्वपूर्ण पड़ाव आये। 1 अप्रैल 2016 को सन् 1938 के बिहार मद्यनिषेध अधिनियम को हटाकर राज्य भर में देशी खराब पर रोक लगा दी गई और बाद में विदेशी शराब की भी बंदी कर दी गई। पुनः 1 अगस्त 2016 को बिहार विधानसभा ने बिहार मधनिषेध एवं उत्पाद विधायक 2016 को पारित किया, परंतु 30 सितम्बर 2016 को पटना उच्च–न्यायलय ने इस सरकारी अधिसूचना (शराब के सेवन, भंड़ारण तथा बिक्री) को 'अकारण' व कठोर कह कर खारिज कर दिया। इसके पहले 2015 में विधानसभा चुनाव के दौरान, बिहार की महिलाओं ने माननीय मुख्यमंत्री से मद्यनिषेध लागू करने के लिए प्रतिज्ञा की माँग की थी और मुख्यमंत्री ने घोषणा कर दी कि पूर्ण शराबबंदी का फैसला महिलाओं के कारण संभव हो सका अतः यह कदम महिलाओं को समर्पित होगा।

अंततः 2 अक्टूबर 2016 को बिहार सरकार ने शराब और अन्य मादक पदार्थों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने हेतु बिहार प्रतिबंध–एवं उत्पाद अधिनियम 2016 को अधिसूचित कर दिया जिसके अन्तर्गत बिहार में शराब की बिक्री व सेवन पर निषेधाज्ञा लागू हुई। शराब के निर्माण, भंडारण अथवा सेवन करने पर कम से कम दस साल की जेल एवं एक लाख रूपये तक का जुर्माना शामिल है। वर्तमान में गुजरात (गुजरात संशोधन अधिनियम 2009 छूट के साथ शराब बंदी), केरल, नागालैंड, लक्षद्वीप में मद्यनिषेध–नीति लागू है। मणिपुर को 'शुष्कराज्य' (Dry State) का दर्जा दिये जाने के बावजूद वहां शराब का काला बाजार गरम है।

जेंडर रिसोर्स सेंटर, महिला विकास निगम, समाज कल्याण विभाग, बिहार सरकार के अनुसंधान के अनुसार मघनिषेध के कारण बिहार में महिलाओं तथा बालिकाओं के प्रति हिंसा में काफी कमी आई है। ग्रामीण परिवारों के क्रय क्षमता में वृद्धि होने तथा घरेलू सामग्रियों में इस राशि के प्रयोग से, आज हर परिवार अपने परिवार को दूध, सब्जियाँ, पौष्टिक आहार तथा शिक्षा पर विशेष ध्यान दे रहा है। इसे आप मजबूरी मानिए या इच्छा शक्ति, पर सरकारी मानदंडों के कारण विकास में बढ़ोत्तरी तो जरूर हुई है। सबसे सुखद अनुभव तो यह रहा है कि शराब पीने वालों ने भी इस मद्यनिषेध का खुल कर स्वागत किया है।

बिहार में मुख्यमंत्री द्वारा उठाया गया यह प्रयास राज्यहित के लिए निःसंदेह दूरगामी निर्णय है, जिसकी तीखी आलोचना भी हुई। जब पुलिसकर्मियों ने लाखों की संख्या में शराब पीने वालों को गिरफ्तार किया और नेताओं एवं पुलिस कर्मियों की भिडन्त में दोनों तरफ से लोग घायल तो पूरे राज्य में अफरा–तफरी मच गई। परंतु इसके साथ ही ग्रामीण महिलाओं एवं बालिकाओं के जीवन पर अत्यंत

सकारात्मक प्रभाव देखने को मिला जिसने सामाजिक कुरीतियों, घरेलू हिंसा तथा महिलाओं पर हो रहे अत्याचारों पर अंकुश लगाया। इस सकारात्मक कदम ने बिहार को नशामुक्त करने के साथ–साथ महिलाओं के विचारों, उनकी सोच और पहल को एक नई अभिव्यक्ति दी जिससे आगे आने वाले समय में अन्य सुधारों के लिए पथ प्रशस्त हो सकेगा।

पूर्ण मद्यनिषेध होने के कारण सभी विकल्प खत्म हो गये। एक समय था जब पुरूषों ने 'पीने का विकल्प' चुना था तब उनके परिवार वालों के पास 'जीने का विकल्प' नहीं था। मद्यनिषेध ने पुरूषों को 'स्वनियंत्रण' समझाया, सोचने समझने की क्षमता दी, परिवारिक जिम्मेदादियों को निभाने का हुनर सिखाया तथा सम्पूर्ण विकास के रास्तों से अवगत कराया। इन्सान, बंदिशों में ही अपना सर्वांगिक विकास कर पाता है – उसे आजाद छोड़ दिया जाये तो वह अपनी मरजी का बादशाह बनकर स्वयं को तहस–नहस करने से बाज नहीं आता।

इस लेख को लिखने के पहले लिए गए अपने साक्षात्कार के दौरान बिहार के परिवेश में रहने वाली लगभग सभी महिलाओं (100%) ने इस कदम को उचित ठहराया और अपने साथ घटित हुए दुखद हादसों के बारे में भी विस्तार से बताया। यद्यपि महिलाएं बोलने से पहले डरती–सहमी दिखीं, पर यह आश्वासन देने पर कि उनके पतियों तक यह बात नहीं पहुंचेगी, उन सभी ने भरपूर विश्वास निभाया और खुलकर अपने पर हुई हिंसा, यौन शोषण, दो पत्नियाँ रखने आदि पर चर्चा करने लगीं। उनके डरे–सहमे चेहरों में लेखिका को महिला–सशक्तीकरण के अनेक सफल स्वरूप उभरते हुए दिखाई दिये।

मद्यनिषेध का परिणाम मात्र महिलाओं पर हो रहे हिंसा को ही रोकने या कम करने तक सीमित नहीं रहा है। इसने लोगों के परिवारिक एवं आर्थिक स्थिति में भी महत्वपूर्ण सुधार किए हैं जिसका प्रभाव पूरे ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर भी दृष्टिगोचर हुआ है। गाँव की महिलाएं एवं बालिकाएं पहले से कहीं ज्यादा सुरक्षित हुई हैं। उन्हें खुल कर विचरण करने तथा बोलने की स्वतंत्रता मिली है। मद्य पर खर्च होने वाली आय अब शिक्षा पर होने लगी है जिससे सोचने–समझने की क्षमता का विकास हुआ है। सही–गलत के प्रति समझ विकसित होने के कारण सही निर्णय लेने की क्षमता का विकास हुआ है।

वस्तुतः देखा जाए तो प्रतिबंध की नीतियों, पुरूषों द्वारा शराब के कम सेवन करने की आदत, और महिला पर हो रही घरेलू हिंसा, सार्वजनिक शोषण, लैंगिक हिंसा (बलात्कार) आदि के तार एक–दूसरे से सीधे तौर पर जुड़े हुए हैं। दिल्ली हो या उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु हों, हर जगह शराब के कारण महिलाओं का ज्यादा शोषण हुआ है। एक उत्प्रेरक के रूप में शराब ने गरीब परिवारों को दरिद्रता, बर्बरता तथा लाचारी के दलदल में फेंक रखा है और यह कहानी, दिल्ली के झुग्गी की ही नहीं अपितु कालोनियों में रह रहे सभी परिवारों की भी है – जहाँ इस प्रकार के लोगों की संख्या बहुतायत में है।

देश के कई राज्यों से काम की तलाश में आये लोगों ने बातचीत के दौरान देशी/विदेशी शराब खरीदने के लिए पत्नियों का पैसा छीनने, बच्चों से मार–पिटाई करने, या बेटी पैदा होने पर उग्र व

हिंसक व्यवहार करने जैसी कृत्यों के बारे में हामी भी भरी। दुर्भाग्यवश ऐसी घटनाएं पढ़े–लिखे तथा अत्यंत धनी परिवारों में भी समानरूप से दिखाई दे रहीं है और यह त्रासदी वहाँ की महिलाएं भी लगातार झेल रही हैं।

महानगरों में ग्लैमर की चकाचौंध एवं 'कॉरपोरेट कल्चर' में मद्यनिषेध को 'गँवारपन' तथा 'ग्रामीण परिवेशी सभ्यता' का नाम देकर मजाक बनाया जाता है, तिरस्कार भी किया जाता है, जो आजकल भरे–पूरे परिवारों के बिखरने का मुख्य कारण बनता जा रहा है। आज जरूरत है जेंडर के आधार पर हस्तक्षेप करने की, ताकि महिलाओं के साथ दुर्व्यव्हार करने की, मर्दों की प्रवृति पर अंकुश लगाया जा सके।

शराब की लत का प्रभाव मात्र नारी के अपमान तक ही सीमित नहीं रहा है अपितु इसके दुष्प्रभावों में बीमारी, अत्यधिक सेवन से मौत, नकली शराब से होने वाली अनेकों समस्यायें भी शामिल हैं। शहरों में नशे की हालत में गाड़ी चलाने से होने वाल दुर्घटनाओं के कारण बीमा योजना में बढ़ोत्तरी आदि अनेक समस्याएं परिस्थिति की जटिलता को और भी गंभीर बनाती जा रही हैं।

मद्य की लत से मात्र एक व्यक्ति ही नहीं अपितु उसका पूरा परिवार, उसके सम्बन्धी तथा व्यापक समाज भी प्रभावित होता है – क्योंकि उसके अनेक भयावह रूप दृष्टिगोचर होते हैं – जैसे मानसिक हिंसा (तनाव, चिंता, अशांति), मौखिक दुर्व्यव्हार (गाली देना, शर्मिन्दा करना, अपमानित करना), शारीरिक हिंसा (पीटना, गला दबाना, जलाना, हथियार से हमला करना), यौन हिंसा (बलात्कार, जबरन यौन संपर्क करना, वेश्यावृति में ढकेलना), आर्थिक शोषण (वित्तीय मदद नहीं करना) तथा सामाजिक हिंसा (लोगों पर प्रहार, चोरी), आदि। ये सभी मद्यपान के कारण होने वाले दुर्व्यव्हारों के वे घिनौने रूप हैं जिसने नारी अस्तित्व पर प्रश्न सूचक चिन्ह लगा रखा है। ऐसे में पूर्णमद्य निषेधाज्ञा के कारण महिलाओं में इन तमाम हिंसाओं से आजादी मिलने की उम्मीद जगी है।

पूर्ण मद्यनिषेध से घरों में शांति, सामंजस्य तथा समृद्धि की वृद्धि होने लगी तथा महिलाओं के साथ–साथ पुरूषों ने भी अपने गलत व्यवहार (दुर्व्यव्हार) पर नियंत्रण की चर्चा की जिसका सीधा असर पर्व त्योहारों में देखने को भी मिला। महिलाओं एवं बालिकाओं ने भी स्वीकारा कि अब उन्हें प्रतिदिन मानसिक, शारीरिक, मौखिक, यौन यातनाओं से नहीं गुजरना पड़ता, अपितु उनके पति एवं पिता घर की सुख–समृद्धि की चर्चा करते हैं। आस–पड़ोस, चौक–चौराहे पर दंगे नहीं होते, लड़कियों के साथ छेड़खानी नहीं होती, घरों का माहौल बदल गया है, महिलाएं अब पतियों के आने पर डरी–सहमी नहीं रहती और घर में पढ़ाई का माहौल रहता है। यदि माहौल ऐसा ही बना रहा तो आगे आने वाली पीढ़ी का भविष्य सुधर जायेगा, शराब पीकर शादियों में होने वाले विवाद नहीं होने से बारात वापस नहीं लौटेंगी, ना ही पत्नी, माँ द्वारा प्रेम से बनाये गये भोजन को उनपर फेंका जायेगा। अब जो लोग चोरी–छिपे शराब पी भी लेते हैं वे घर आकर शांति से सो जाते हैं ताकि मोहल्ले वाले या घर वाले उनकी शिकायत दर्ज ना करा दें।

कहने की आवश्यकता नहीं कि अब इस बदले हुए माहौल में घर की औरतें ज्यादा सुरक्षित एवं खुश रहती हैं तथा घर से जुड़े फैसलों में निर्णायक भूमिका अदा करती हैं। अब वे गालियाँ नहीं सुनती बल्कि फैसले सुनाती हैं।

पर कई अन्य प्रतिक्रियाएं भी ध्यान देने योग्य हैं। सरकारी नीतियों, खासकर विकास की नीतियों की एक प्रक्रिया है – जहाँ वाद है तो प्रतिवाद होना भी संभव है। नीतियाँ, सामाजीकरण, रीतिरिवाज, सामुदायिक संरचना और पितृ सत्तात्मक समाज सभी ने महिलाओं की उन्मुक्ति, अभिव्यक्ति का रास्ता बंद कर रखा है। ऐसा इसलिए कि घर की महिलाओं से यह अपेक्षा की जाती है कि वे पति व पिता के शराब पीने के बाद हुई हिंसा को बर्दाश्त करें और परिवार का हर सदस्य इस बारे में अभ्यस्त भी होता है। इतना ही नहीं कुछ परिवार तो शराब के बहाने हिंसक व्यवहार करने से भी नहीं झिझकते। अनैतिक आचरण, कारखानों, स्कूलों में अनुपस्थिति, जेल में कैदियों की संख्या में बढ़ोतरी इन सबके पीछे शराब सेवन एक बहुत बड़ा कारण है।

प्रायः यह देखा गया है कि कानून का सबसे ज्यादा असर गरीब मजदूरों, आदिवासियों तथा दलितों पर पड़ता है। प्रतिदिन मजूदरी करने वाले लाखों गरीब मजदूरों को शराब पीने पर सजा देने के कारण यह शराबबंदी 'गरीब बंदी' में तब्दील होती भी दिखती है। स्थिति ऐसी बनी कि रातों–रात एक 'दिहाड़ी मजदूर', मजदूर से अपराधी बन गया, जेल में लाखों मजदूरों को कैद करने से जेल भरने लगे, मुकदमें बढ़ने से अदालतों पर भार बढ़ गये एवं जरूरी मुकदमों की सुनवाई में देर होने का डर बैठता गया। जेल और अदालतों में भी इतने अपराधियों को झेलने की हिम्मत नहीं थी, क्योंकि ये अपराधी नहीं अपितु नशाखोर थे जो मात्र वकीलों की कमाई बढ़ा सकते थे और पत्नियाँ जहाँ पतियों को सुधारना चाहती थी, मुकदमे में पैसे बर्बाद करने लगी। यह सच था कि महिलाओं ने शराबंदी की माँग की थी परंतु पतियों का जेल में रहना भी उन्हें गँवारा नहीं था। 16 महीने में 3 लाख 88 हजार से ज्यादा छापे पड़े एवं लाखों लोग गिरफ्तार हुए। छापेमारी के आंकड़े बिहार में सबसे ज्यादा पाये गए।

शराब पीने के आदी अमीर लोगों को बहुत ज्यादा–नुकसान नहीं हुआ क्योंकि उन्हें चीजें घर बैठे मिल जाती थी और प्रशासन भी इसमें सम्मिलित था। वे लोग बिहार के बार्डर पार 'देवघर' या दिल्ली जाकर भी पी सकते थे, पर गरीब दारू पीने के लिए दिल्ली तो नहीं जा सकते थे। कुछ समस्यायें तब भी विद्यमान रहीं जैसे तंबाकू–गुटखे का सेवन (बाद में पान मसाला को भी एक साल के लिए बंद किया गया) पुलिस कर्मियों द्वारा शराब का सेवन, जब्त किये गये शराब को पुनः पैसे वालों को बेच देना, नशे के शिकार लोगों द्वारा काम पर नहीं जाना, नशामुक्ति केंद्रों पर दाखिला नहीं कराना आदि। इन सारी आलोचनाओं एवं प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा कानून के प्रावधानों का लाभ लेने की जानकारी व्यवस्था से छिपी नहीं रही। अतः शराब बंदी कानून में संशोधन की भी चर्चा प्रारंभ हो गई है – जिससे नारियों का शोषण नहीं हो यथा 2 बार पकड़े जाने पर छूट, तीसरी बार में जेल, आर्थिक जुर्माना भरने आदि का प्रावधान शामिल किया गया, ताकि शराबंदी के नाम पर कमाने वालों पर अंकुश लगाया जा सके।

ऐसे में इस पहल के सभी पहलुओं की समीक्षा अपेक्षित है। यह कहना अतिश्योक्ति नहीं होगा कि अब थाने में महिलाओं द्वारा की गई शिकायतों में काफी कमी आ गई है और साथ ही अस्पतालों में महिलाओं पर हुए, हिंसक प्रहारों के इलाज में भी कमी आई है। राजस्व विभाग का लक्ष्य भी राजस्व को बढ़ाने के बजाए (राजस्व वसूली) मद्यनिषेध को लागू करवाने का हो गया है और अपने इस प्रयास में उन्हें पुलिस एवं प्रशासन दोनों का भरपूर सहयोग मिला है। 5000 करोड़ के राजस्व के घाटे को भरने के लिए लोगों को अन्य सुविधायें मुहैया करवाई गई है जिससे बिहार भ्रमण करने वाले देशी व विदेशी लोगों की संख्या में भी वृद्धि हुई है। एक समय था जब बिहार जैसे गरीब राज्य में राजस्व संग्रह शून्य पर पहुँचा गया था परंतु मानव संसाधनों की कार्यक्षमता पर बिहार राज्य ने एक बड़ी जीत हासिल की है। शराब पर प्रतिबंध लगाकर, व्यक्तिगत व पारिवारिक जीवन में परिवर्तन लाकर एक सशक्त समाज की रचना में बिहार अग्रणी रहा है। और जिस समाज में महिला मानसिक, मौखिक, शारीरिक, यौन व आर्थिक रूप में पीड़ित नहीं हो, सही मायने में महिला–सशक्तीकरण यही है और समाजिक सुधार के कर्णधार के रूप में गाँधी जी का सपना भी यही रहा था।

(साभार–मानव अधिकारः नई दिशाएं)

❍❍❍❍❍

"यदि आपका हृदय प्रेम से पूर्ण है तब ईश्वर को अन्यत्र खोजने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि प्रेम ही ईश्वर है।"

"जीवन का वास्तविक अर्थ शिक्षा द्वारा समझा जा सकता है तथा सत्य को केवल शिक्षा द्वारा स्थापित किया जा सकता है।"

– जे. कृष्णमूर्ति

शिक्षा में नवाचार, शिक्षण पाठन तकनीक, कौशल प्रशिक्षण एवं रोजगार

– कल्पना कौशिक

शिक्षा में नवाचार की आवश्यकता आज इतनी शिद्दत से क्यों महसूस की जा रही है। गौर करने पर ध्यान आता है कि अपनी जड़ों से अलग हो जाना भी इसका एक बड़ा कारण है। भारत के विशाल इतिहास में झांकने पर हम पाते हैं कि जिस नयेपन को हम खोज रहे हैं वह नवाचार हमारे इतिहास में निहित था एवं शिक्षा की नींव का एक महत्वपूर्ण अंग रहा है। भारत में शिक्षा व्यवस्था की अवधारणा को समझने के लिए हमें गुरूकुल व्यवस्थाओं का अध्ययन करना होगा जहां शिक्षा का अर्थ संकीर्ण न होकर समावेशी था। जिसमें गृह कार्य से लेकर अंतरिक्ष तक की शिक्षा का प्रावधान था। शिक्षा आजीविका से जुड़े कार्यों को दक्षतापूर्ण तरीके से करना सिखाती थी। यह अहंकार की बजाए सम्मान का विषय हुआ करती थी और शिक्षित व्यक्ति विनम्रता का परिचायक। प्रत्येक व्यक्ति अपनी रूचि, आवश्यकता तथा व्यवसाय के अनुसार शिक्षोन्मुख होता था।

आज हम विज्ञान और प्रौद्योगिकी के एक ऐसे दौर से गुजर रहे हैं जिसमें नवाचार पर विशेष जोर दिया जा रहा है। नवाचार का अर्थ होता है, नए प्रयोग, शोधपरक मानसिकता का विकास तथा बनी–बनाई लीक से बाहर निकलने की प्रवृत्ति। निःसंदेह यह कोई नया विशय नहीं है। सृष्टि के निर्माणकाल से ही यह जीवन के विकासक्रम का महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है। तकनीकी प्रगति ने हमेशा मानव सभ्यताओं के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। पत्थर के प्रसंस्करण और आग के विकास, कृषि, पहिये के आविष्कार और लेखन से लेकर डीएनए की संरचना को समझने तक, तमाम खोजों और आविष्कारों से मानव समाज और सभ्यता का विकास हुआ है। यदि नवाचार नहीं होता तो मनुष्य आज भी जंगलों, पहाड़ों में आदिमानव का जीवन जी रहा होता। लेकिन यह भी सच है कि प्रगति के कुछ सोपान चढ़ने के बाद कई शताब्दियों तक नवाचारों, आविष्कारों और खोजों के प्रति उदासीनता का भाव व्याप्त रहा है। आदिम समुदायों और प्राचीन दुनिया को नज़र–अंदाज भी कर दें तो भी जीवन के नए आयाम तब खुले जब गणित, यांत्रिकी, खगोल विज्ञान आदि पर पहली बार काम हुआ। प्रारंभ में मानव जीवन पर विज्ञान का प्रभाव अपेक्षाकृत कम था लेकिन धर्म ने कई शताब्दियों तक विज्ञान, आवष्किार और नवाचार के विकास को बढ़ावा देने में अहम भूमिका अदा की। पुनर्जागरण का युग, इसकी संस्कृति की धर्मनिरपेक्षता, प्रकृति और मान–केंद्रियता ने तर्क, रचनात्मकता और नवीनता पर पुर्नविचार को गति दी। इस तरह नवाचार का प्रयोग मानव सभ्यता के विकास के हर क्षेत्र में होता रहा है और आगे भी यह क्रम इसी प्रकार से अनवरत रूप से जारी रहेगा।

Final PS Jan-Jun'23_feb'11 pror shiksha.qxd 7/6/2023 2:45 PM Page 39

ब्रिटिश उपनिवेशवाद की जकड़न से आजादी के बाद शिक्षा के क्षेत्र में नवाचार की जरूरत पर लंबे समय तक विचार–विमर्श होता रहा लेकिन इस पर जोर दिए जाने का काम मुख्य रूप से 21वीं शताब्दी में किया गया। 20वीं शताब्दी तक शिक्षा का मतलब छात्रों को एक निश्चित पाठ्यक्रम के तहत परीक्षा के लिए तैयार कर देना भर माना जाता था। इसे गेस अथवा सैम्पल पेपर्स और सरलीकृत कर देते थे। योग्य शिक्षक उन्हें माना जाता था जिनके गेस किये हुए प्रश्न परीक्षा के प्रश्नपत्र से ज्यादा मेल खाते थे। यह व्यवस्था छात्रों को विषय के एक अंश के पाठ तक सीमित कर देती थी। पूरे विषय का ज्ञान प्राप्त करने का कोई आग्रह नहीं था। इस व्यवस्था में उन्हें डिग्रियां तो मिल जाती थीं लेकिन व्यावहारिक जीवन में उनकी शिक्षा का कोई उपयोग नहीं हो पाता था। आज भी अनेक विद्यार्थियों को अपने विषयों से संबंधित आधारभूत अवधारणाओं की स्पष्ट जानकारी नहीं है जिसके कारण शिक्षा का जो महत्व उनके जीवन में अपेक्षित था वह नदारद दिखाई पड़ता है। वर्ष 2003 में अटल बिहारी बाजपेयी की सरकार ने देश में पहली बार तकनीकी संस्थाओं के विकास के लिए शिक्षा में गुणवत्ता सुधार कार्यक्रम की शुरूआत की थी।

इस कार्यक्रम के तहत विभिन्न चरणों में देश के चिन्हित सरकारी व गैर–सरकारी शिक्षण संस्थानों में तकनीकी शिक्षा से संबंधित शोध और नवाचार को बढ़ावा देने का प्रावधान किया गया था। इसका पहला चरण 2003 से वर्ष 2009 तक चला जिसके तहत 13 राज्यों के 127 शिक्षण संस्थानों को लाभ पहुंचा। इसके दूसरे चरण के तहत वर्ष 2010 तक 13 राज्यों से बढ़कर 23 राज्यों तक इसका विस्तार किया गया। तब इससे लाभान्वित होने वाले शिक्षण संस्थानों की संख्या 191 तक पहुंच गयी। फिर राजग सरकार ने इस कार्यक्रम की तीसरे चरण के तहत कुल 2260 करोड़ की राशि से बिहार, ओड़िसा, झारखण्ड, छत्तीसगढ़, मध्यप्रदेश, सिक्किम व मणिपुर जैसे कई राज्यों के करीब 100 सरकारी तथा गैर–सरकारी शिक्षण संस्थानों को तकनीकी सहायता प्रदान करने का निर्णय लिया गया। जिसकी घोषणा तत्कालीन मानव संसाधन विकास मंत्री श्री प्रकाश जावड़ेकर ने की। इस कार्यक्रम के सफल क्रियान्वयन के लिए विश्व बैंक और हेफा (एचईएफए) यानि उच्च शिक्षा वित्त एजेंसी की मद्द ली गयी।

इसी क्रम में वर्ष 2015 में केंद्र सरकार ने युवाओं के लिए प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना की शुरूआत की। इस योजना का मुख्य उद्देश्य देश में सभी युवाओं को संगठित कर उनके कौशल को निखारना और उनकी योग्यता को बढ़ाते हुए बेहतर रोजगार की सुविधा से जोड़ना है। सरकार ने 2016 से 2020 के दौरान एक करोड़ से अधिक लोगों को कौशल प्रशिक्षण देने के लिए इस योजना के तहत 12 हजार करोड़ रूपये खर्च किए।

शिक्षा में नवाचार की शुरूआत से पूर्व 1986 की शिक्षा नीति की समीक्षा की गयी और पाया गया कि वह वर्तमान समय, काल और परिस्थितियों के अनुरूप नहीं है। इसकी प्रासंगिकता खत्म हो चली है। हालांकि इस दौरान केरल, त्रिपुरा और मिजोरम जैसे कुछ राज्यों ने शिक्षा के क्षेत्र में आश्चर्यजनक प्रगति की, जिसके अनेकानेक कारण रहे। लेकिन दूसरी तरफ मानव विकास सूचकांक में अन्तिम पायदान पर रहे तथाकथित बिमारू कहे जाने वाले राज्य जैसे बिहार, ओडिशा,

झारखण्ड, छत्तीसगढ़ में साक्षरता दर हमेशा से चिंताजनक रही। इन राज्यों में प्राथमिक से लेकर उच्च तक की शिक्षा सदैव समस्याग्रस्त रही है। मानव संसाधान विकास मंत्रालय द्वारा 2014 में कराए गये एक सर्वेक्षण के अनुसार देश में 6–13 वर्ष की आयु के लगभग 60.64 लाख बच्चे स्कूल जाने से वंचित थे।

रिपोर्ट में बताया गया था कि विद्यालय से वंचित छात्रों में उत्तर प्रदेश के 1612285 छात्र, बिहार के 1169722 और पश्चिम बंगाल के 339239 छात्र रहे। सर्व शिक्षा अभियान के डेढ़ दशक और शिक्षा के अधिकार कानून के लागू हुए आधा दशक बीतने के बावजूद बच्चों के स्कूल से जुड़ने की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि नहीं हुई है। इस रिपोर्ट से साफ हो रहा था कि शिक्षा विभाग वंचित बच्चों को स्कूल पंहुचाने में असमर्थ रहा और अभिभावक बच्चों की शिक्षा के प्रति उदासीन।

हालांकि तस्वीर पूरी तरह स्याह भी नहीं थी। आजादी के समय जो साक्षरता दर 14 प्रतिशत थी वह सात दशकों के बाद 75 फीसदी का आंकड़ा पार कर चुकी थी। लेकिन देश के सभी हिस्सों में इसका एक समान प्रभाव नहीं देखा गया। ग्रामीण आबादी का अधिकांश हिस्सा शिक्षा के महत्व से अवगत नहीं था। प्राथमिक विद्यालय नजदीक होने पर भी बच्चों को उसमें भेजना जरूरी नहीं समझा जाता था। बस मध्यान्ह भोजन के समय बच्चे आते और भोजन के बाद वापस चले जाते। कक्षा में उनकी उपस्थिति बेहद कम होती थी। वे दिन भर खेलते–कूदते रहते। जागरूकता के अभाव के कारण ही 60 लाख बच्चे स्कूली शिक्षा से दूर रहे। असल में हमारी प्राथमिक शिक्षा व्यवस्था ही पटरी पर नहीं आ पा रही थी। प्राथमिक शिक्षा किसी देश की शिक्षा व्यवस्था की रीढ़ होती है। वही डावांडोल हो जाय तो सुनहरे भविष्य की उम्मीद नहीं की जा सकती।

लिहाजा इन विषम स्थितियों में बदलाव के लिए वर्ष 2010 में शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची में शामिल कर कानून का दर्जा दिया गया। उम्मीद की गयी थी कि कानून पारित होने के बाद अगले पांच वर्षों में स्थिति बदल जायेगी। लेकिन इसके बहुत उत्साहजनक परिणाम नहीं आये। दरअसल सिर्फ कानून बना देने भर से कुछ खास अंतर नहीं पड़ता, शिक्षा के क्षेत्र में कुछ बुनियादी बदलाओं की अनिवार्य आवश्यकता थी। सभी को पता है कि अभी भी देश में 9 लाख शिक्षकों की कमी है। कई राज्यों में विभिन्न कारणों से शिक्षकों की नियुक्तियां अटकी हुई हैं। शिक्षकों के अभाव के कारण लाखों छात्रों का भविष्य अधर में लटक गया है। यही कारण है कि प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षक और छात्र का अनुपात 40:1 के मानक तक नहीं पहुंच पाया। विद्यालय छोड़ने वाले छात्रों की संख्या दिनोंदिन बढ़ती गयी। हालांकि, इसके पीछे भी कई कारण हैं। पहला तो स्कूलों में आधारभूत संरचना की कमी, खासकर शौचालयों का न होना या उनका बुरी स्थिति में होना जिसके कारण छात्राएं स्कूल जाने से कतराती हैं। प्राथमिक स्कूलों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा न दिये जाने के कारण आज निम्न आय वर्गीय परिवार के अभिभावक भी अपने बच्चों को किसी अंग्रेजी या कान्वेंट स्कूलों में भेजना ही श्रेयस्कर समझते हैं। दूसरी तरफ, समाज के उपेक्षित वर्ग के बच्चों के नामांकन संख्या में बढ़ोत्तरी नहीं हो पा रही है। यह

नीति–निर्माताओं के समक्ष सबसे बड़ी चुनौती रही है। सरकार ने शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए मध्याह्न भोजन योजना, छात्रवृत्ति, मुफ्त पाठ्य पुस्तकों के वितरण की व्यवस्था के साथ–साथ अनेक डिजिटल प्लेटफार्म भी उपलब्ध करवाये, किंतु फिर भी बच्चों को स्कूल में रोके रखने में सफलता नहीं मिल पा रही थी।

कुछ समय पहले शिक्षा पर एक रिपोर्ट आयी थी जिसमें साफ तौर पर कहा गया था कि भारत यदि अपनी मौजूदा शिक्षा व्यवस्था में प्रभावशाली बदलाव नहीं करता है तो विकसित देशों की बराबरी करने में उसे छः पीढ़ियां यानी 126 साल लग जाएंगे। इस रिपोर्ट के बाद भी शिक्षा को प्राथमिकता का दर्जा नहीं दिया जा पा रहा था। आंकड़ों के मुताबिक भारत शिक्षा व्यवस्था पर अपनी जीडीपी का मात्र 3.83 प्रतिशत हिस्सा ही खर्च करता रहा है, जबकि अमेरिका, ब्रिटेन और जर्मनी में यह हिस्सेदारी क्रमशः 5.22, 5.72 और 4.95 प्रतिशत है। इस संबंध में संयुक्त राष्ट्र का मानक यह है कि हर देश को शिक्षा व्यवस्था पर अपनी जीडीपी का कम से कम 6 प्रतिशत खर्च करना चाहिए। भारत में शिक्षा सुधारों के लिए 1964 में डी.एस.कोठरी की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गयी थी जिसने अपनी रिपोर्ट में कुल राष्ट्रीय आय के 6 प्रतिशत को शिक्षा पर व्यय करने का सुझाव दिया था। लेकिन यह कभी लागू नहीं हो सका। शिक्षा के क्षेत्र में महज 3 से 4 प्रतिशत राशि ही आवंटित होती रही। वार्षिक बजट में इस मद की राशि में भी कटौती की जाती रही। कॉलेज और विश्वविद्यालय उच्च शिक्षा प्राप्ति की दृष्टि से विद्यार्थियों के जीवन के अहम पड़ाव होते हैं। किसी भी देश की प्रगति का रोडमैप वहीं तैयार होता है लेकिन लंबे समय तक इस पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया। सच्चाई यह भी है कि उच्च शिक्षा प्राप्त लाखों लोग बेरोजगार हो रहे हैं। उनके पास डिग्री तो है, किंतु हुनर और कौशल की कमी है। भारत में प्रौढ़ शिक्षा का भी स्तर निरंतर गिरता जा रहा है। प्रौढ़ शिक्षा जिसकी आवश्यकता आज हर एक क्षेत्र में अनिवार्य रूप से महसूस तो होती है किंतु केंद्र सरकार, राज्य सरकारें एवं इस क्षेत्र में कार्य करने वाले संगठन भी इसकी अनिवार्यता को अमलीजामा नहीं पहना पा रहे हैं तथा अपने मूल पथ से भटक कर अपने लिए दिशा तलाश रहे हैं।

राज्य स्तरीय कॉलेजों सहित देश के प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में शिक्षा की मौजूदा स्थिति सभी को पता है। देश के अधिकांश विश्वविद्यालयों में समय पर कोर्स पूरा नहीं हो पाता। लोकनायक जयप्रकाश नारायण ने कहा था कि आज की शिक्षा प्रणाली से अधिकांश बच्चे अनपढ़ और अज्ञानी होते जा रहे हैं। इसलिए प्राथमिक से लेकर विश्वविद्यालय तक की शिक्षा में आमूल–चूल परिवर्तन होना चाहिए। जयप्रकाश नारायण देश में ऐसी शिक्षा व्यव्यस्था के हिमायती थे, जहां शिक्षा का डिग्री से कोई संबंध न हो तथा डिग्री लेकर भी कोई नौकरी के लिए न भटके। इसलिए रोजगापरक शिक्षा बहाल होनी चाहिए। जेपी का यह क्रांतिकारी विचार भारतीय शिक्षा की तस्वीर बदल सकता है।

इन स्थितियों को देखते हुए देश में एक नई शिक्षा नीति की जरूरत महसूस की गयी। मोदी सरकार ने इसे गंभीरता से लिया और गहन चिन्तन–मनन के बाद 29 जुलाई 2020 को नई शिक्षा नीति की विधिवत घोषणा की गयी। इस दौरान कैबिनेट ने मानव संसाधन और विकास मंत्रालय

का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया। इसके मुख्य उद्देश्य शिक्षा और सीखने पर ध्यान केंद्रित करना तथा भारत को एक वैश्विक ज्ञान महाशक्ति बनाना है। नई शिक्षा नीति 2020 का प्रारूप पूर्व इसरो प्रमुख के. कस्तुरीरंगन की अध्यक्षता में बनी समिति की रिपोर्ट पर आधारित है।

यह भारत में आजादी के बाद लायी गयी तीसरी शिक्षा नीति है। पहली शिक्षा नीति 1968 में और दूसरी 1986 में लागू की गयी थी। नई शिक्षा नीति – 2020 का लक्ष्य 2040 तक एक कुशल शिक्षा प्रणाली बनाना है, जिसमें सभी शिक्षार्थियों की सामाजिक, आर्थिक पृष्ठभूमि को ध्यान में रखते हुए उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा की सब तक समानरूप से पहुंच की गारंटी हो। इसका उद्देश्य एक ऐसी शिक्षा प्रणाली का विकास करना है जो भारत की परंपराओं और सांस्कृतिक, पारिवारिक मूल्यों को केंद्र मे रखकर 21वीं सदी की शिक्षा के आकांक्षात्मक लक्ष्यों को हासिल कर सके। इसमें राज्यों व केंद्र द्वारा शिक्षा पर सार्वजनिक खर्च को जीडीपी के 6 प्रतिशत तक बढ़ाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

नई शिक्षा नीति में नवाचार, शोध और कौशल पर विशेष ध्यान दिया गया। शिक्षकों के प्रशिक्षण से लेकर स्कूली शिक्षा, उच्च शिक्षा और तकनीकी शिक्षा के नये मानदंड तय किये गये। नये लक्ष्य निर्धारित किये गये। शिक्षा को रोजगारपरक बनाने की पूरी कोशिश की गयी। कोविड काल में ऑनलाइन क्लास के संचालन में तेजी आयी। इसके साथ ही शिक्षा के डिजिटलीकरण की प्रक्रिया में तेजी आयी। हालांकि इसमें बहुत सी समस्याएं भी आई और कुछ अवरोध भी उत्पन्न हुए।

दरअसल कोरोना महामारी के दौरान लागू किये गये प्रतिबंधों का बच्चों के दैनिक जीवन पर व्यापक प्रभाव पड़ा और वे घरों के अंदर कैद होकर रह गये। महामारी के कारण सभी शिक्षण संस्थाओं और परीक्षाओं को स्थगित करना पड़ा। इसके कारण बहुत से बच्चे शिक्षा तंत्र से बाहर हो गये। बच्चों की पढ़ाई बाधित न हो यह सुनिश्चित करने के लिए स्कूलों की पढ़ाई को ऑनलाइन मोड में ले जाने के लिए विवश होने के कारण शिक्षा व्यवस्था को एक अभूतपूर्व चुनौती का सामना करना पड़ा। सक्षम घरों के छात्र तो स्मार्ट फोन और कम्प्यूटर की तकनीक से अवगत थे और अपना अधिकांश समय मोबाइल या कम्प्यूटर स्क्रीन के सामने बिताते थे लेकिन निम्नवर्ग के छात्रों का एक बड़ा समूह डिजिटल उपकरणों से दूर था और उनके प्रयोग से अनिभिज्ञ, जो एक गंभीर समस्या थी।

वर्ष 2017–18 के एक सर्वेक्षण में यह पाया गया कि देश के मात्र 15 प्रतिशत ग्रामीण घरों में इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध थी, जबकि शहरी घरों के मामले में यह दर 42 प्रतिशत थी। अतः ई–लर्निंग प्रणाली की तरफ हुए इस बदलाव ने एक नई बहस छेड़ दी कि क्या इस बदलाव से सभी छात्रों को सीखने में मदद मिलेगी या इससे उनके विकास, सामाजिक और भावनात्मक कल्याण में बाधा उत्पन्न होगी तथा इससे भी महत्वपूर्ण प्रश्न यह था कि क्या यह नया माध्यम वास्तव में शिक्षा के सभी आयामों की पूर्ति कर सकेगा?

डिजिटल शिक्षा, पठन–पाठन के दौरान डिजिटल उपकरणों तथा प्राद्यौगिकियों के उपयोग के

जरिए ही संभव है। इसे अक्सर प्रौद्योगिकी संवर्द्धित लर्निंग या ई–लर्निंग के रूप में भी संदर्भित किया जाता है। डिजिटल प्रौद्यौगिकियों का उपयोग शिक्षकों को पाठ्यक्रमों में सीखने की प्रक्रिया को और अधिक आकर्षक बनाने का अवसर प्रदान करता है और यह पूरी तरह से ऑनलाइन पाठ्यक्रमों व कार्यक्रमों का रूप ले सकता है।

भारत में ऑनलाइन शिक्षा को सक्षम बनाने के लिए कई पहलुओं की शुरूआत कोरोना काल के पहले भी की गयी थी, जिनमें से एक था ई–पीजी पाठशाला। ये केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय की एक पहल थी जिसका उद्देश्य अध्ययन के लिए ई–सामग्री प्रदान करना है। यह ऑनलाइन पाठ्यक्रमों के लिए एक एकीकृत मंच प्रदान करता है। प्रौद्यौगिकी के लिए नीट की व्यवस्था की गयी। इस योजना का उद्देश्य आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की सहायता से छात्रों की व्यक्तिगत आवश्यकताओं के अनुरूप सीखने की प्रक्रिया की अधिक अनुकूलित प्रणाली को विकसित करना है।

इस दौरान केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने देश में डिजिटल शिक्षा पर प्रज्ञाता शीर्षक के साथ आवश्यक दिशा–निर्देश जारी किए। इस दिशा–निर्देश के अनुसार, नर्सरी और प्री–स्कूल स्तर पर माता–पिता के साथ बातचीत करने और उनका मार्गदर्शन करने के लिए तय समय 30 मिनट से अधिक नहीं होना चाहिए। साथ ही स्कूलों के लिए कक्षा 1 से 8 के लिये प्रतिदिन अधिकतम 1.5 घंटे और कक्षा 9 से 12 के लिए प्रतिदिन अधिकतम 3 घंटे ऑनलाइन कक्षाओं की सीमा निर्धारित की गयी है।

दरअसल 2003 में बाजपेयी सरकार ने शैक्षणिक सुधार के तहत इस दिशा में नेशनल प्रोग्राम ऑन टेक्नोलॉजी एनहांस्ड लर्निंग लागू की थी। यह परियोजना देश के 7 आईआईटी द्वारा भारतीय विज्ञान संस्थान, बंगलुरू के साथ मिलकर शुरू किया गया था। इसे ऑनलाइन शिक्षा की सुविधा प्रदान करने के लिए बनाया गया था। इसका उद्देश्य इंजीनियरिंग, विज्ञान और प्रबंधन के क्षेत्र में वैब और वीडियो पाठ्यक्रम उपलब्ध कराना था।

ऑनलाइन शिक्षा, छात्र और शिक्षक दोनों को सीखने की गति निर्धारित करने में सक्षम बनाती है, साथ हीं साथ यह सभी की दिनचर्या में समन्वय के अनुरूप पढ़ने का समय निर्धारित करने की सुविधा भी प्रदान करती है। यह इंटरनेट की विशाल और विस्तृत दुनिया में अनन्त कौशल एवं विषय सीखाने तथा सीखने का अवसर भी उलब्ध कराती है। इस स्थिति से निपटने के लिए कई आईटी कंपनी सामने आयीं लेकिन उनका विकास क्षेत्र मुख्यतः प्राइवेट शिक्षा तंत्र को मजबूती प्रदान करना रहा।

हाल में ऐसे विश्वविद्यालयों और उच्च शिक्षा से जुड़े स्कूलों की संख्या में वृद्धि हुई है जो विभिन्न स्तरों तथा विषयों के लिए अपने कार्यक्रमों को ऑनलाइन माध्यम पर प्रस्तुत कर रहे हैं। यह पाया गया कि पारंपरिक शिक्षा की तुलना में ऑनलाइन शिक्षा के लिए अपेक्षाकृत कम मौद्रिक निवेश की आवश्यकता होती है और इसके बेहतर परिणाम भी देखे गये हैं। ऑनलाइन मोड की शिक्षा में अध्ययन सामग्री के साथ परिवहन आदि पर खर्च किया गया शुल्क भी काफी कम होता

है। ऑनलाइन शिक्षण छात्रों को अपनी इच्छा के अनुरूप उपयुक्त स्थान, समय या परिवेश में पढ़ाई करने की अनुमति देता है। एक स्वस्थ्य अध्ययन माहौल केवल शिक्षा ग्रहण की प्रक्रिया को ही सुगम नहीं बनाता बल्कि यह बातचीत, विचारों को व्यापक बनाने और मुक्त विचार–विमर्श आदि को बढ़ावा देता है। स्वस्थ्य माहौल में छात्र चुनौतीपूर्ण सामूहिक कार्यों और साथ मिलकर समस्याओं के समाधान के दौरान एक–दूसरे से अधिक सीखते हैं। ऑनलाइन शिक्षा के दौरान सीखने योग्य बहुत सी महत्वपूर्ण चीजें छुप जाती हैं। मोबाइल या लैपटॉप की स्क्रीन को लंबे समय तक देखते रहने से वे अपने मस्तिष्क का उपयोग अधिक स्वतंत्रतापूवर्क नहीं कर पाते हैं और न ही पढ़ाये जा रहे विषयों पर सटीक प्रतिक्रिया दे पाते हैं।

यह अनिवार्य नहीं है कि हर छात्र जो स्कूल जाने का खर्च वहन कर सकता है, वह फोन, कंप्यूटर, यहां तक कि ऑनलाइन कक्षाओं में भाग लेने के लिये एक गुणवत्तापूर्ण इंटरनेट कनेक्शन का भी खर्च उठा सके। इसके कारण छात्रों को मानसिक तनाव से गुजरना पड़ता है और हाल में ऐसे मामलों में काफी वृद्धि देखी गयी है।

निश्चित रूप से प्रौद्योगिकी का खर्च हर कोई नहीं उठा सकता। ऐसे में पूरी तरह से ऑनलाइन शिक्षा की ओर स्थानांतरित होने से उन लोगों के शिक्षा के अधिकार पर कुठाराघात होगा जिनके पास उपयुक्त तकनीकी साधन नहीं हैं या जो इस लागत को वहन नहीं कर सकते हैं। अतः इस दृष्टिकोण से देखा जाय तो शिक्षा के डिजिटलीकरण की बात करने वाली राष्ट्रीय शिक्षा नीति भी शिक्षा के अधिकार के विपरीत प्रतीत होती है।

इसके अलावे भी कई अन्य व्यावहारिक कठिनाइयां थीं। जो लोग प्रौद्यौगिकी का खर्च उठा सकते थे उन परिवारों में भी कक्षा 1 से 3 तक में पढ़ रहे बच्चों को लंबी अवधि तक कंप्यूटर या मोबाइल स्क्रीन को घूरने के कारण आंखों की समस्याओं का सामना करना पड़ सकता था। इसके अतिरिक्त छात्रों के बैठने की गलत मुद्रा या शारीरिक गतिविधियों की कमी के कारण उनको गर्दन और पीठ में दर्द के साथ कई अन्य स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता था।

इस स्थिति में चरणबद्ध तरीके से एक कक्षा के कुछ छात्रों (अधिकतम 50 प्रतिशत) को स्कूल आने की अनुमति देकर छात्र–शिक्षक चर्चा को बढ़ावा देना भी जरूरी था। खासतौर पर वंचित वर्ग और कम सुविधा वाले ऐसे छात्रों को प्राथमिकता देना, जिन तक ई–लर्निंग के लिये आवश्यक संसाधनों की पहुंच नहीं है या वे इसका खर्च वहन नहीं कर सकते हैं। हर बच्चे के लिए मौलिक अधिकार के रूप में समान रूप से अच्छी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु वास्तविक प्रयासों को बढ़ावा दिए जाने की जरूरत से इंकार नहीं किया जा सकता।

लंबे, एकतरफा और नीरस संवाद की जगह छोटे परंतु गुणवत्तापूर्ण विचार–विमर्श को प्राथमिकता दिए जाने की जरूरत थी। शिक्षक की भूमिका कक्षा को नियंत्रित करने तक सीमित न रखते हुए ज्ञान के हस्तांतरण की सुविधा प्रदान करने वाले एक मार्गदर्शक के रूप में विस्तारित की जाने की आवश्यकता थी।

शिक्षा किसी छात्र द्वारा एक पाठ्यक्रम विशेष में अपनी क्षमता का प्रदर्शन करने तक सीमित नहीं है बल्कि इसका उद्देश्य छात्र को आवश्यक ज्ञानार्जन के साथ अपनी रचनात्मक क्षमता को बढ़ाने का अवसर प्रदान करना है। ऐसे में शिक्षण प्रणाली के तहत गुणवत्तापूर्ण ज्ञानार्जन की परवाह किए बिना छात्रों और शिक्षकों पर केवल पाठ्यक्रम को पूरा करने का दबाव नहीं बनाया जाना चाहिए, बल्कि इसके तहत मात्रा की बजाय गुणवत्ता पर विशेष जोर दिया जाना चाहिए।

सवाल शिक्षा को रोजगार के साथ जोड़ने का है। इसमें कोई संदेह नहीं कि भारत में बेरोजगारी वर्षों से एक गंभीर समस्या रही है। इससे निपटने के रास्ते की तलाश आजादी के बाद की लगभग सभी सरकारों ने की लेकिन वे अधिकांशतः हवा में ही तीर चलाते रहे। समस्या निरंतर गंभीर होती चली गयी। इसका कोई सही निदान नहीं निकल पाया। इसी क्रम में यह बात सामने आई कि अंग्रेजों ने जिस शिक्षा नीति को लागू किया था उसका व्यावहारिक जीवन में कोई उपयोग नहीं था। वह सिर्फ लिपिक वर्ग को तैयार कर सकती थी। इसी क्रम में रोजगारमूलक शिक्षा की अवधारणा सामने आयी। बेरोजगारी को दूर करने का यही सटीक रास्ता हो सकता था। इस अवधारणा के तहत देश में आईटीआई जैसे तकनीकी संस्थान खोले गए। उनमें लोग प्रशिक्षित और नियोजित भी हुए लेकिन बेरोजगारी की दर की तुलना में परिणाम नहीं निकल पाया। आजादी के बाद की लगभग हर सरकार ने इस समस्या के निदान के प्रयास किये। लेकिन कोई सटीक रास्ता नहीं निकल पाया। समस्या की जड़ें शिक्षा प्रणाली में थीं। अंततः सन् 2003 में तत्कालीन अटल विहारी बाजपेयी सरकार ने इस दिशा में पहल की।

वर्ष 2014 में जब यूपीए की सरकार सत्ता से बाहर हो गयी और नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी तो 2015 में इसी क्रम में प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना की शुरूआत की गयी। योजना सटीक थी। इसका क्रियान्वयन सही ढंग से हो पाता तो इस लक्ष्य को हासिल करना मुश्किल नहीं था। लेकिन इसके रास्ते में कई बाधाएं भी आई। एक तो योजना के प्रारूप और क्रियान्वयन में व्यावहारिकता का अभाव और दूसरे कोविड का प्रकोप। इतिहास गवाह है कि सटीक योजनाओं का भी सहीं ढंग से कार्यान्वयन न हो तो उम्मीद के अनुरूप परिणाम नहीं निकल पाता। किसी भी योजना का कुशलता से क्रियान्वयन नौकरशाही पर निर्भर करता है। सत्ता के शीर्ष पर बैठे लोगों की भी अपनी पसंद और अपनी प्राथमिकताएं होती हैं। इनके बीच समन्वय का अभाव फलाफल को प्रभावित कर देता है। इस योजना में व्यावहारिक कमियां थीं जो क्रियान्वयन के समय सामने आयी। उन्हें सुधारने के प्रयास भी किए गए लेकिन इसी बीच कोविड 19 की महामारी ने जोरदार झटका दिया। पूरे देश में लॉकडाउन लगाना पड़ा। इसके कारण सारी गतिविधियां ठप्प हो गयी। केंद्रों में प्रशिक्षण कार्य ठप्प हो गए। आर्थिक गतिविधियां थमने के कारण वैश्विक मंदी आ गयी। रोजगार सृजन की संभावनाएं क्षीण होने लगीं।

हालांकि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के प्रशिक्षण केंद्रों की स्थापना और उनके संचालन में कठिनाइयां कोविड के प्रकोप से पहले ही सामने आ चुकी थीं जब यह योजना शुरू हुई तो मध्यम वर्ग के युवाओं को प्रशिक्षण केंद्र के संचालन में समाज सेवा के साथ आर्थिक विकास की

Final PS Jan-Jun'23_feb'11 pror shiksha.qxd 7/6/2023 2:45 PM Page 46

दिशा में भी अपना उज्जवल भविष्य दिखाई पड़ा। केंद्र सरकार प्रशिक्षण केंद्रों के संचालकों के साथ एक साल का अनुंबंध करती थी। एक वर्ष में यदि अनुबंध की शर्तों के अनुरूप सीटें मिलतीं तो उनकी प्रतिवर्ष आय लगभग 15 लाख होती। जबकि एक केंद्र की स्थापना में करीब 30 लाख का खर्च आ रहा था। जाहिर था कि दो–तीन साल के संचालन के बाद ये प्रयोग केंद्र की लागत निकालकर संचालक को लाभ की दिशा में ले जा सकती थीं। लेकिन अनुबंध मात्र एक साल का था। इसके नवीनीकरण की कोई गारंटी नहीं थी। इसके अलावे किसी भी केंद्र को अनुबंध के अनुरूप सीटें नहीं दी गयी। इसके कारण अधिकांश केंद्र संचालक भारी नुकसान में चले गए। कई संचालक तो कर्ज में डूबकर दीवालिया होने की कगार पर पहुंच गए।

हालत यह हो गयी कि वर्ष 2018 में प्रशिक्षण केंद्र संचालकों ने मंत्रालय के समक्ष प्रदर्शन तक किया। उस समय यह बात सामने आई कि इस योजना को कार्पोरेट घरानों ने हाइजैक कर लिया है। अधिकारियों ने भी अधिकतम कोटा उन्हीं को दिया। उन्होंने इस योजना का पूरा लाभ उठाया। वे प्रशिक्षण देते रहे और अपने ही संस्थानों में उन्हें नियोजित दिखलाते रहे। इससे सरकार के आंकड़े दुरस्त होते रहे। जबकि मध्यम वर्ग के केंद्र संचालकों को भारी नुकसान उठाना पड़ा। उन्हें अपने प्रशिक्षण केंद्र बंद करने पड़े। जो प्रशिक्षण केंद्र संचालित हुए वह पूंजीपति घरानों की बदौलत चले। वे इतने सक्षम थे कि हर वर्ष आसानी से अनुबंध का नवीनीकरण करा सकते थे। ऐसे संचालकों ने अपने उद्योगों की जरूरत को ध्यान में रखकर प्रशिक्षण दिया। शेष कागजी कारवाई चलती रही। सरकार आम संचालकों को समयानुकूल राशि आवंटन की व्यवस्था नहीं कर सकी। प्रशिक्षण के कोटे में कटौती भी की जा रही थीं। प्रशिक्षण के बाद नियोजन का प्रतिशत बेहद कम रहा। कार्पोरेट संचालकों ने अपनी जरूरत भर नियोजन किया। केंद्र संचालक सभी प्रशिक्षणार्थी को बैंक गारंटी नहीं दे सकते थे और सरकार के निर्देश के बावजूद बैंक प्रबंधक लोन देने में टाल–मटोल करने लगे।

सरकार ने केंद्र संचालकों को हिदायत दी थी कि वे प्रशिक्षण के बाद नियोजन की भी जिम्मेदारी लेंगे। इसका रास्ता नौकरी अथवा स्वरोजगार ही हो सकता था। लेकिन 2016 की नोटबंदी के बाद देश में आई आर्थिक मंदी के कारण रोजगार का सृजन किसी सेक्टर में नहीं हो पा रहा था। इसकी जगह छंटनी की कैंची चलाई जा रही थी। सरकार ने स्वरोजगार के लिए बैंकों को बिना शर्त कर्ज देने के निर्देश दिए थे। यह कहीं से व्यावहारिक नहीं था। पांच साल की सरकार की गांरटी पर बैंकों के लिए तीस साल का कर्ज देना संभव नहीं था। सरकारी योजनाओं के कर्ज की वसूली के प्रतिशत का बैंकों को पहले से ही बेहद कटु अनुभव रहा था। जाहिर है कि जिस रफ्तार की जरूरत थी उस रफ्तार में प्रशिक्षित लोग स्वरोजगार की दिशा में नहीं बढ़ पाए।

आंकड़े बताते हैं कि राष्ट्रीय स्तर पर इस योजना का लाभ महिलाओं ने पुरूषों की तुलना में ज्यादा उठाया। हालांकि इस योजना की सफलता के प्रतिशत का आंकलन कठिन है। पर सरकार के दावे और जमीनी हालात में बड़ा अंतर है। शायद सरकार इस सच से परिचित भी है कि

विकास के क्रम में अक्सर सफलता के आंकड़े दुरस्त भर किए जाते हैं।

वर्ष 2021 में कौशल विकास योजना के तीसरे चरण की शुरूआत की गयी। इसका मुख्य उद्देश्य था उपलब्ध कौशल के जरिये युवाओं के लिए एक बेहतर पारिस्थितिकी तंत्र के विकल्प का निर्माण करना। कौशल प्रशिक्षण और प्रमाणन के लिए युवाओं को सहायता प्रदान करना। उपलब्ध कौशल के जरिये युवाओं के लिए बेहतर रोजगार एवं जीवनयापन के विकल्पों को उपलब्ध करवाना।

तीसरे चरण के तहत 3.74 लाख लोगों को दाखिला दिया गया और 3.36 लाख को प्रशिक्षित किया गया। 2.23 लाख का मूल्यांकन और 16.5 लाख को प्रमाणित किया गया। कोविड काल को देखते हुए इस कार्यक्रम के जरिए कुशल स्वास्थ्य पेशेवरों और लॉजिस्टिक क्षेत्र से जुड़े पेशेवरों के बोझ को कम करना और देश के हर कोने में समय पर स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना रहा। इसमें काफी हद तक सफलता भी मिली। विभिन्न राज्यों में स्थानीय परिस्थितियों और जरूरतों के अनुरूप कौशल विकास कार्यक्रम चलाया गया। इस बीच नवाचार पर काफी जोर दिया गया। आने वाले समय में इसके सुखद परिणाम सामने आएंगे इसमें कोई संदेह नहीं है। आशा और विकास का आसमान विस्तृत तथा अंतहीन है, आवश्यकता एवं कर्तव्य अपने हिस्से के कार्य को ईमानदारी और लग्न से करने की है।

❍❍❍❍❍

"उच्चतम शिक्षा वह है जो हमें केवल मात्र सूचना प्रदान नहीं करती है,
यद्यपि हमारे जीवन को संपूर्ण अस्तित्व के साथ समायोजित करती है।"

– रविन्द्रनाथ टैगोर

Final PS Jan-Jun'23_feb'11 pror shiksha.qxd 7/6/2023 2:45 PM Page 48

हमारे लेखक

अशोक कुमार
असिस्टेंट प्रोफेसर
राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद
वरूण मार्ग, डिफेंस कॉलोनी
नई दिल्ली – 110 024

संदीप कुमार
असिस्टेंट प्रोफेसर
जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान
जे–6, वीवीपीएच–2, अंसारी रोड
दरियागंज
दिल्ली – 110 002

अनीता जोशी
प्रोफेसर
बी.एड.विभाग, एम.बी.राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, हल्द्वानी
बरेली–नैनीताल रोड, भोटिया पड़ाव,
हल्द्वानी, उत्तराखंड – 263 139

साक्षी कडेवाल
एम.ए.व एम.एड,
कुमॉऊ विश्वविद्यालय नैनीताल
बरेली–नैनीताल रोड, भोटिया पड़ाव,
हल्द्वानी, उत्तराखंड – 263 139

आलोक कुमार
एम.फिल शिक्षार्थी
प्रौढ़ सतत् शिक्षा एवं विस्तार विभाग
दिल्ली विश्वविद्यालय
दिल्ली – 110 007

राजेश
विभागाध्यक्ष
प्रौढ़ सतत् शिक्षा एवं विस्तार विभाग
दिल्ली विश्वविद्यालय
दिल्ली – 110 007

राहुल यादव
सहायक प्राध्यापक
प्रौढ़ सतत् शिक्षा एवं विस्तार विभाग
दिल्ली विश्वविद्यालय
दिल्ली – 110 007

कल्पना कौशिक
निदेशक
भारतीय प्रौढ़ शिक्षा संघ
17 बी., आई. पी. एस्टेट
नई दिल्ली –110 002

भारतीय प्रौढ़ शिक्षा संघ

कार्यकारिणी समिति

अध्यक्ष
डा. एल. राजा

बहिर्गामी अध्यक्ष
श्री कैलाश चौधरी

उपाध्यक्ष
श्रीमती राजश्री बिस्वास
प्रो. सरोज गर्ग
प्रो. राजेश
प्रो. एस. वाई. शाह

महासचिव
श्री सुरेश खण्डेलवाल

कोषाध्यक्ष
डा. पी. ए. रेड्डी

संयुक्त सचिव
श्री मृणाल पन्त

सह–सचिव
डा. डी. उमा देवी
श्री राजेन्द्र जोशी
श्री ए. एच. खान
श्री हरीश कुमार एस.

सदस्य
सुश्री निशात फारूख
डा. आशा आर पाटिल
डा. आशा वर्मा
श्री वाई एम जनानी
श्री वाई. एन. शंकरेगोडा
डा. वी. रेघु

सहयोजित सदस्य
प्रो. अशोक भटट्ाचार्य
श्रीमती इन्दिरा राजपुरोहित
डा. डी. के. वर्मा

Final PS Jan-Jun'23_feb'11 pror shiksha.qxd 7/6/2023 2:45 PM Page 50

प्रौढ़ शिक्षा जनवरी-जून 2023, आर.एन.आई. 4551/57

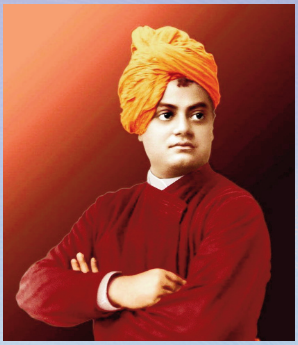

''मन का विकास और उसका संयम करो,
उसके बाद जहां इच्छा हो, वहां इसका प्रयोग
करो–उसमें अति शीघ्र फल प्राप्ति होगी।
यह है यथार्थ आत्मोन्नति का उपाय। एकाग्रता सीखो,
और जिस ओर इच्छा हो, उसका प्रयोग करो।
ऐसा करने पर तुम्हें कुछ खोना नहीं पड़ेगा।
जो समस्त को प्राप्त करता है, वह अंश को भी प्राप्त कर
सकता है।''

– स्वामी विवेकानन्द

स्वत्वधिकारी भारतीय प्रौढ़ शिक्षा संघ के लिए सुरेश खण्डेलवाल द्वारा
17–बी, आई.पी. एस्टेट, नई दिल्ली–2 से प्रकाशित, सम्पादित और उनके द्वारा
मैसर्स – ग्राफिक वर्ल्ड, 1686, कूचा दखिनी राय, दरियागंज, नई दिल्ली–2 से मुद्रित।
सम्पादक : सुरेश खण्डेलवाल